Registered No. HSE-49/2016

RIGHT TO INFORMATION

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజపత్రము

THE ANDHRA PRADESH GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

W.No.30 AMARAVATI, WEDNESDAY, AUGUST 2, 2017 **G.134**

PART II - MISCELLANEOUS NOTIFICATIOSN OF INTEREST TO THE PUBLIC

--x--

NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS Etc.,

ENVIRONMENT, FORESTS, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT
(Section-II)

FINAL NOTIFICATION S.O.No.1736 (E), Dt. 26-06-2015 PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA REGARDING DECLARATION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND PULICAT BIRD SANCTUARY IN THE STATE OF ANDHRA PRADESH.

[Memo No.4284/Section-II/2014,- 14th July, 2017.]

0रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1365] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 2015/ आषाढ़ 4, 1937
No. 1365] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 2015/ASADHA 4, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून , 2015

का.आ. 1736(अ).—भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की एक प्रारुप अधिसूचना, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य में पुलीकट पक्षी अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की घोषणा की गई जिसे का.आ. 22(अ) तारीख 3 जनवरी, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित रूप में उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और, उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध राजपत्र की प्रतियां तारीख 3 जनवरी, 2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

और, केंद्रीय सरकार ने विचार किया है कि पुलीकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली हुई भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की समुद्रताल/तट मग्न भूमि है जिसमें शीतऋतु के प्रवासी पक्षी आते हैं और यह विभिन्न जलचर और स्थलचर पक्षियों जैसे वृहद और लघु हंसावरों, जांघिलों, बड़े और करछिया बगुलों, भूरे हवासिलों, भूरे बगुलों और जल पक्षियों जैसे उत्तरी सीखपर, श्यामपंखी बड़ा पनेवा, उत्तरी तिदारियों, सामान्य चैती, सामुद्रिक, कुरकी, टिटिहरी, बटान, टिकरी, गुलिंदा आदि के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्थल है, और शीत के दौरान आने वाले प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि झील भोजन और परभक्षियों से सुरक्षा प्रदान करती है।

और, अभयारण्य जिला नैल्लोर के पांच मंडलों ताडा, सुल्लुरपेट, डोरावेरीमनरम, चित्तामूर, और वाकाडु को आच्छादित करते हुए लगभग 460 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है ;

और, अभयारण्य क्षेत्र में श्रीहरिकोटा द्वीप पर कच्छ वनस्पति, तटीय वनस्पति और बैंतझाड़ी से विकीर्णित दक्षिणी

उष्णकटिबन्धी शुष्क सदाबहार वनों के अवशेषों के अतिमहत्वपूर्ण खंड हैं जो अत्यंत वानस्पतिक महत्व का है ;

और, इस अभयारण्य में प्राणी जात के मुख्य प्रवर्ग हैं जिसमें अन्य के साथ-साथ जिसके अंतर्गत अकशेरुकियों में झींगा, समुद्री झींगा, केकड़ा, प्राणीप्लवक, सीलन्टरेट, एनेलिड, मोलस्क और शूलचर्मी, मत्स्य की 168 प्रजातियां, तुच्छिल छिपकली, शिरस्त्राण, नाग, रसल घोषारु, करैत, वनशूकर, जंगली बिल्ली और सियार तथा विभिन्न पक्षी वर्ग हैं ;

और, मुख्य पक्षी प्रजातियों, जो पुलीकट झील में बृहद हंसावर (प्रत्येक वर्ष लगभग 30,000 हंसावर पुलीकट में आते हैं) और ऐसे अन्य भरण प्रवासी पक्षी जैसे पैलीकन, जांघिल, विवृत चंचु वलॉक, धूसर बगुले, जलकॉक, श्वेत बुज्जा, दाबिल, बगुला, जलशैल बगुले, चकत्ता चंचु बतख, उत्तरी तिदारी, उत्तरी सीखपर, बलुई पाईपर्स, सामुद्रिक और नदी कुरकी भी हैं ;

और, बृहद हंसावर (फोनिकोप्टैरस रोजस) प्रजनन स्थल कच्छ के रण मे आते हुए अक्तूबर के दौरान पुलीकट में आता है और अप्रैल के दौरान वापस लौटता है और इसे एक संकटापन्न प्रजाति के संरक्षण की आवश्यकता है ;

और, पारस्थितिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पुलीकट पक्षी अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र जिसकी सीमा और विस्तार इस अधिसूचना के पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट है, को पारस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन उद्योग या उद्योगों के वर्ग और उनके प्रचालन और प्रसंस्करण को प्रतिषेध करना आवश्यक है ;

अतः, अब केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में पुलीकट पक्षी अभयारण्यके उत्तर से दक्षिण दो किलोमीटर के क्षेत्र को पारस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं - (1) आंध्रप्रदेश राज्य में पुलीकट पक्षी अभयारण्य का पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर से दक्षिण तक दो किलोमीटर तक पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं का विस्तृत वर्णन इस अधिसूचना से उपाबंध I के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र इस अधिसूचना से अक्षांश और देशांतर के साथ उपाबंध II में भी उपाबद्ध है ;

(4) पुलीकट पक्षी अभयारण्य की सीमा मे बाहर और पुलीकट पक्षी अभयारण्य सवेदी जोन के भीतर आने वाले तेईस ग्रामों की सूची उनके अक्षांश और देशांतर के साथ प्रमुख विंदुओं पर इस अधिसूचना में उपाबंध III के रूप में उपाबद्ध है :

परंतु उपाबंध III में दी गई ग्रामों की सूची आंचलिक महायोजना तैयार करते समय राज्य सरकार द्वारा और पुनरीक्षित तथा पुष्टि होगी ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंध के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना पुलीकट झील के संरक्षण के लिए पारिस्थितिक सिद्धांतों पर आधारित होगी ।

(3) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(5) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक की विचारों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन और वन्यजीवन ;
(iii) कृषि ;
(iv) सड़क और भवन ;
(v) राजस्व ;
(vi) शहरी विकास ;
(vii) पर्यटन ;

(viii) ग्रामीण विकास ;
(ix) नगरपालिक ;
(x) पंचायत राज ;
(xi) सिंचाई ; और
(xii) लोक निर्माण विभाग ।

(6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिक अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो ।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र, जैसे, उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 17, सं. 19, सं. 25, और सं. 27 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पर्यावरण हितेशी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी अभिभोग के लिए पर्यावरण हितेशी कुटीर जैसे तम्बू काश्ठ के घर;
(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और मजबूत बनाना;
(iii) वर्षा जल संचय; और
(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, भंडारण सुविधाएं और स्थानीय सुविधाएं भी हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपमंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनउत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक स्रोतों** .- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट के क्षेत्र, जिन्हें ऐसे क्षेत्र को अभ्यकंन है, में विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन** .– (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना आंध्र प्रदे ा पर्यटन विभाग, द्वारा वन और पर्यावरण **विभाग** आंध्र प्रदे ा सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पुलीकट पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटन के अस्थायी अधिभोग के लिए आवासन के सिवाय होटल और सैरगाहों के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार अभयारण्यकी सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे, नए होटलों और सैरगाहों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए अभिहित क्षेत्रों में अनुज्ञात होंगे ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों** .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट** .- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन** .- परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **औद्योगिक इकाई** .-

पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी औद्योगिक इकाई की नई स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	अ. प्रतिसिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	तटीय जल कृषि।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी प्रकार की जल कृषि, या तो खारे पानी या स्वच्छ पानी में अनुज्ञात नहीं होगी।
(2)	औद्योगिक इकाई।	(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई लकड़ी पर आधारित कोई स्थापन नहीं होगा। (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नया प्रदूषण करने वाला या उच्च प्रदूषण करने वाला स्थापन नहीं।
(3)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर वाणिज्यिक खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के संदर्भ में संनिर्माण या गृहों की मरम्मत और निजी खपत के लिए देशीय खपड़ा या ईंटों के विनिर्माण के लिए भूमि की खुदाई के सिवाय प्रतिसिद्ध होंगी। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(4)	वृहत्त पैमानो पर वाणिज्यिक क्रियाकलाप के रूप में गैर-परंपरागत रीति से यात्रियों द्वारा मछली पकड़ना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(7)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	नए वृहत जल विद्युत परियोजना और कृषि परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	पोलीथीन के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(10)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(11)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।

28456118-2

	गुबारों आदि द्वारा राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	
	विनियमित क्रियाकलाप	
(12)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(i) पुलीकट पक्षी अभयारण्य की सीमा से पारिस्थितिक संवेदी जोन में 100 मीटर की दूरी तक किसी प्रकार के नए संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, सिवाय नलकूपों के कक्ष, जिनका परिमाण 1000 वर्ग इंच से अधिक नहीं होगा । (ii) पुलीकट पक्षी अभयारण्य की सीमा से 100 से 500 मीटर के मध्य पारिस्थितिक संवेदी जोन में दो मंजिली (25 फीट) से अधिक के किसी भवन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा । (iii) पुलीकट पक्षी अभयारण्य की सीमा से पारिस्थितिक संवेदी जोन में 500 मीटर की दूरी तक नई उच्च विद्युत पारेषण की लाइनों की तारें बिछाना अनुज्ञात नहीं होगा ।
(13)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्हीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
(14)	जल का निकर्षण ।	(i) जल निकाय के उच्च ज्वार भाटा रेखा से 100 मीटर के भीतर भूमिगत जल का निकर्षण अनुज्ञात नहीं होगा, सिवाय ml क्षेत्र में, जहां स्थानीय निवासी निवास करते हैं और केवल उनके उपयोग के लिए । (ii) जल निकाय की उच्च ज्वार भाटा रेखा से 100 मीटर से परे भूमिगत जल का निकर्षण भूखंड के अधिभोगी के केवल कृषि और घरेलू खपत के लिए यथालागू नियम और विनियम के अनुसार अनुज्ञात होगा । (iii) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(15)	उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(16)	ठोस अपशिष्ट ।	का.आ. संख्यांक 908(अ), तारीख 25-09-2000 द्वारा प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार ले जाया जाएगा ।
(17)	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन ।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक स्थापन होटल और आरामगाह, सिवाय पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवासन अनुज्ञात नहीं होंगे : परंतु एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्गनिर्देशों के अनुरूप होगा ।
(18)	विद्युत केबलों को बिछाना ।	भूमिगत केबुल को प्रोत्साहित किया जाएगा ।
(19)	सड़कों को चौड़ा करना और मजबूत बनाना ।	यथालागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे ।
(20)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(21)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	नदी के किनारों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	साइन बोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	अनुमति प्राप्त क्रियाकलाप :	
(24)	संपोषणीय मत्स्य पालन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(25)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(26)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(27)	कृषि करने, जिसके अंतर्गत बागवानी, उद्यान कृषि और फलों उद्यान भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(28)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	जैव गैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा ।
(29)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(30)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) जिला कलक्टर, नेल्लोर - अध्यक्ष ;

(ii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य ;

(iii) आंध्र प्रदेश राज्य के ख्याती प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय मे पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र में प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

(iv) भारत वन्यजीव संस्थान का प्रतिनिधि, देहरादून - सदस्य ;

(v) प्रादेशिक अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य ;

(vi) संबंधित ज्येष्ठ नगर नियोजक - सदस्य ;

(vii) उप वन संरक्षक/प्रखंड वन अधिकारी, भारसाधक पुलीकट पक्षी अभ्यारण्य – सदस्य-सचिव ।

निर्देश का निबंधन

(2) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/48/2013-ईएसजेड-आरई]

डा. जी. वी. सुब्रहमण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं का विस्तृत वर्णन

उत्तर : पुलीकट पक्षी अभ्यारण्य की पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की सीमा वालामेदु ग्राम के उत्तर से 1 कि.मी. दूरी मे प्रारंभ होती है और 2 कि.मी. पूर्वी दिशा में आगे बढ़ती है तथा बंगाल की खाड़ी में मिलती है।

पूर्व : पुलीकट पक्षी अभ्यारण्य की सीमा बंगाल की खाड़ी की समुद्री रेखा के सभी ओर पूर्वी दिशा की तरफ पुलिंजरिकुप्पम ग्राम की उत्तरी दिशा में 750 मी. पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की अंतरराज्यिक सीमा तक पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की सीमा है।

दक्षिण : पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र रेखा पुलिंजरिकुप्पम ग्राम के उत्तरी ओर 750 मी. पर आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु की अंतरराज्यिक सीमा पर प्रारंभ होती है तथा दक्षिण की ओर तमिलनाडु राज्य की सीमा के साथ आगे बढ़ती है और तत्पश्चात् पश्चिम ओर आगे बढ़ती है तथा उसके पश्चात् उत्तरी ओर आगे बढ़ती है और अरमबक्कम ग्राम के पश्चिमी ओर 200 मीटर पर समाप्ति होती है।

पश्चिम : पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र रेखा करुरु ग्राम के निकट रा.रा.5 के पश्चिम ओर 200 मीटर की दूरी पर तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश राज्य की सीमा से प्रारंभ होती है जो स्टेशन सं. 1 है और रेखा 200 मीटर की दूरी पर रा.रा. 5 के पश्चिम ओर के साथ आगे बढ़ती है तथा टाडा, श्रीकालहस्ती मार्ग जंक्शन पर काटती है तथा स्टेशन सं. 2 पर मिलती है जो चेनीगुंटा ग्राम की रेलवे क्रासिंग है तथा स्टेशन सं. 3 पर बटेम्बेडु ग्राम को छूती हुई उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है और तत्पश्चात् रेखा उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है तथा करीजथा ग्राम के स्टेशन सं. 4 पर छूती है, तत्पश्चात् रेखा पश्चिमी ओर आगे बढ़ती है तथा उलामपाडवा सिंचाई तालाब के स्टेशन सं. 5 को छूती है, तत्पश्चात् रेखा उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है और कोनपल्ली ग्राम में स्टेशन सं. 6 पर छूती है, तत्पश्चात् रेखा उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है, तदुपरि रेखा उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है और आनेगोट्टम ग्राम के निकट स्टेशन सं. 8 को छूती है और उसके पश्चात् रेखा उत्तरी दिशा में आगे बढ़ती हुई पुलाथोटा ग्राम में स्टेशन सं. 9 को छूती है, तत्पश्चात् रेखा उत्तरी दिशा में आगे बढ़ती हुई स्टेशन सं. 10 को डिगुवा वरट्टूर के निकट छूती है और तदुपरि रेखा आगे बढ़ती हुई अरूर ग्राम के निकट स्टेशन सं. 11 को छूती है, तत्पश्चात् रेखा उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ती है और कोगिली ग्राम में स्टेशन सं. 12 को छूती है और तदुपरि रेखा कोक्कुपलेम ग्राम के निकट स्टेशन सं. 13 को छूती है, तदुपरि रेखा उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है और स्टेशन सं. 14 पर छूती है, तत्पश्चात् रेखा उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है तथा अंदलमाला ग्राम के निकट स्टेशन सं. 15 पर छूती है, तदुपरि रेखा उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर बढ़ती है तथा वालामेंदु ग्राम के निकट स्टेशन सं. 16 पर बंगाल की खाड़ी की समुद्र रेखा पर मिलती है, जो एक बंद स्टेशन है।

उपाबंध-II

अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन को दर्शित करने वाला मानचित्र

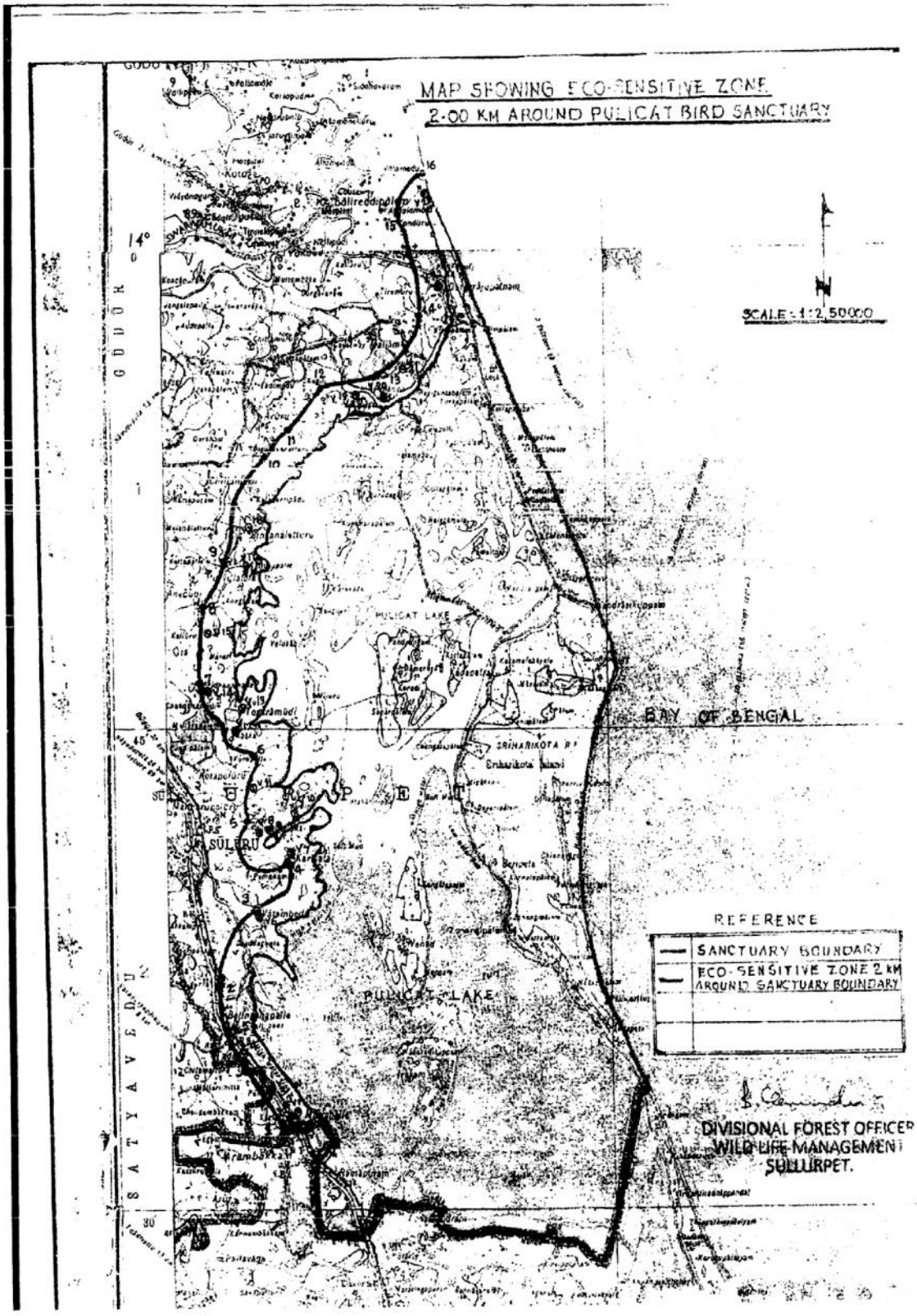

2845GI/15-3

उपाबंध-II

स्टेशन सं.	अक्षांश	देशांतर
1.	80.06430	13.54570
2.	80.02710	13.62600
3.	80.05350	13.64849
4.	80.07013	13.68507
5.	80.04316	13.69985
6.	80.04991	13.73569
7.	80.01249	13.77264
8.	80.01540	13.81469
9.	80.03244	13.83767
10.	80.04722	13.89051
11.	80.05759	13.90740
12.	80.09156	13.92855
13.	80.12279	13.92966
14.	80.14004	13.96720
15.	80.13368	13.01651
16.	80.14561	13.04674

उपाबंध-III

पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची ।

क्रम सं.	राजस्व ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
ग्रा. 1	भीमुनिवारी पलेम कुप्पम	13.5461200	80.0723000
ग्रा. 2	भीमुनिवारी पलेम	13.5448200	80.0678900
ग्रा. 3	पुडी	13.5606700	80.0545200
ग्रा. 4	तडा	13.5874800	80.0347800
ग्रा. 5	तडा कांद्रिगा	13.5953300	80.0292800
ग्रा. 6	वटेमवेडु	13.6543700	80.0481400
ग्रा. 7	कारिजथा	13.6831100	80.0657900
ग्रा. 8	दवाडिगुंटा	13.6952700	80.0430100
ग्रा. 9	केसीएन गुंटा	13.6965500	80.0465800
ग्रा. 10	कुदिरी	13.7071800	80.0704300
ग्रा. 11	मन्नेमुटुरु हरिजन वाड़ा	13.7182100	80.0301300
ग्रा. 12	अबाका	13.7499500	080.03.465
ग्रा. 13	टोगारामुड्डी	13.7604500	80.0419000
ग्रा. 14	श्रीधनमल्ली	13.7742700	80.0202200
ग्रा. 15	कल्लूरु कांद्रिगा	13.8006000	80.0267200
ग्रा. 16	कट्टूवपलै	13.8348500	80.0442500
ग्रा. 17	कट्टूपलै हरिजन वाड़ा	13.8346800	80.0499400
ग्रा. 18	सिंगनलट्टूरु	13.8567800	80.0369300
ग्रा. 19	यैल्लुरु	13.9131500	80.1154300
ग्रा. 20	पल्लमपार्थी	13.9231200	80.1229200
ग्रा. 21	कोक्कूपलेम	13.9366400	80.1356000
ग्रा. 22	दुग्गाराजपट्टनम	13.9803900	80.1560600
ग्रा. 23	थुपिलिपलेम	14.0345000	80.1420100

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।

2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय विंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपावद्ध करें ।

3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना (पारिस्थिनिक संवेदी जोनवार) ।

4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए व्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) ।

5. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपावद्ध किए जा सकते हैं ।

6. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपावद्ध किए जा सकते हैं ।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

FOREST DEPARTMENT

Rc.No.779/2007/WL-1, Dt: 19-06-2017

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2015

S.O.1736 (E),—Whereas, a draft notification, for declaration of Eco-sensitive Zone around Pulicat Bird Sanctuary in State of Andhra Pradesh was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 22 (E), dated the 3rd January, 2014, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 3rd January, 2014;

And Whereas, all objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

And Whereas, the Central Government considers that the Pulicat Lake is the second largest brackish water lagoon/wetland in India spread over Andhra Pradesh and Tamil Nadu which attracts winter migratory birds and is an important feeding ground for a variety of aquatic and terrestrial birds like Greater and Lesser Flamingoes, Painted Stroks, Large and Little Egrets, Grey Pelicans, Grey Herons and Water birds such as Northern Pintails, Black winged Stilts, Northern Shovellers, Sandpipers, Plovers, Common Coots, Curlews, etc., and is famous for large number of migratory birds visiting during winter as the lake offers food and protection from predators;

And Whereas, the sanctuary extends to about 460 square kilometer in Andhra Pradesh covering five mandals of Tada, Sullurpet, Doravarisatram, Chittamur and Vakadu of Nellore District;

And Whereas, the sanctuary area has some very significant patches of remnants of southern tropical dry ever green forests interspersed with mangrove forest, littoral vegetation and cane brakes on Sriharikota Island which are of considerable Botanical interest;

And Whereas, the sanctuary has the different categories of fauna which *inter alia* include invertebrates - Prawns, Lobsters, Crabs, Zoo planktons, Coelenterates, Annelids, Molluscs and Echinoderms, 168 species of fish, Monitor lizard, Calotes, Cobra, Russel Viper, Krait, Wild Boar, Jungle Cat, Jackal and many bird species;

And Whereas, the principal bird species that visit Pulicat Lake is Greater Flamingo (about 30,000 Flamingoes visit Pulicat every year) and other feeding migrants such as Pelicans, Painted Storks, Open billed Stroks, Grey herons,

Cormorants, White Ibises, Spoonbills, Egrets, Reef Herons, Spot billed Ducks, Northern Shovellers, Northern Pintails, Sand Pipers, Gulls and River terns;

And Whereas, the greater Flamingo (*Phoenicopterus roseus*) - endangered species requiring protection - visits Pulicat during October coming from Great Rann of Kutch, the breeding place and returns back during April;

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Pulicat Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processed in the said Eco-sensitive Zone;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of two kilometers from north to south all along the western boundary of the Pulicat Bird Sanctuary in the State of Andhra Pradesh as an Eco-sensitive Zone, details of which are as under, namely:-

1. **Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.**- (1) The extent of Eco-sensitive Zone is two kilometers from north to south all along the western boundary of the Pulicat Bird Sanctuary in the State of Andhra Pradesh.

(2) The detailed description of boundaries of the Eco-sensitive Zone is appended to this notification as **Annexure I**.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes is appended as **Annexure II**.

(4) The list of twenty three villages falling outside the boundary of the Pulicat Bird Sanctuary and falling within the Pulicat Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone along with their longitudes and latitudes at prominent points are appended as Annexure III:

Provided that the list of villages as given in Annexure III shall be further revisited and confirmed by the State Government while preparing the Zonal Master Plan.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the effective Management of Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be based upon ecological principles for conservation of Pulicat lake.

(3) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(4) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Roads and Building;
(v) Revenue;
(vi) Urban Development;
(vii) Tourism;
(viii) Rural Development;
(ix) Municipal;
(x) Panchayat raj ;
(xi) Irrigation; and
(xii) Public Works department;

for integrating environmental and ecological considerations into the said plan.

(6) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government**.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use**.- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 17, 19, 25 and 27 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads;

(iii) Rainwater harvesting; and

(iv) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee. once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs**.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism**.- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment, Government of Andhra Pradesh.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Pulicat Bird Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units**

No new establishment of any industrial unit shall be permitted in the Eco- sensitive zone.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
	Prohibited Activities	
1.	Coastal Aqua culture.	No Aqua culture either brackish water or fresh water aqua culture is permitted within Eco-sensitive zone.
2.	Industrial units.	(i) Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone. (ii) No establishment of any new polluting or highly polluting industry within Eco-sensitive Zone.
3.	Commercial Mining, stone quarrying, crushing units.	(a) Commercial mining (minor and major minerals), stone quarrying, crushing units shall be prohibited within the Eco-sensitive Zone except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
4.	Fishing by trawlers in untraditional manner as a large scale commercial activity	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Use of Polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	Regulated Activities	
12.	Construction activities.	(i) From the boundary of Pulicat Bird sanctuary upto a distance of 100 metre in the Eco-sensitive Zone, no new construction of any kind shall be allowed except tubewell chambers of dimension not more than 1000 cubic inches. (ii) The construction of any building more than two storeys

		(twenty five feet) shall not be allowed in the Eco-sensitive Zone area between 100 to 500 meters from the boundary of the Pulicat Bird Sanctuary. (iii) The lying of new high tension transmission wires shall not be allowed from the boundary of Pulicat Bird Sanctuary to a distance of five hundred meters in the Eco-sensitive Zone.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accorda nce with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
14.	Extraction of waters.	(i) No extraction of Ground Water shall be permitted within 100 m from the High Tide line of the water body except in areas which are inhabited by local communities and only for their use. (ii) Beyond 100 m from the High Tide line of the water body extraction of ground water shall be permitted only for the bonafide agricultural and domestic consumption of the occupier of the plot as per applicable rules and regulation. (iii) All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.
15.	Discharge of treated effluents.	Regulated under applicable laws.
16.	Solid waste.	Carried out as per the provision of the Municipal Solid waste management Rules, 2000 published vide number S.O. 908(E) dated 25.09.2000.
17.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansions of existing activities should be in conformity with the Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
18.	Erection of electrical cables.	Promote underground cabling.
19.	Widening of roads and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose only as per applicable laws.
21.	Introduction of exotic species.	Regulated as per applicable laws
22.	Protection of river banks.	Regulated as per applicable laws.
23.	Signboard and hoardings.	Regulated as per applicable laws.
	Promoted Activities	
24.	Sustainable fisheries.	Shall be actively promoted.
25.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
26.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
27.	Cottage industries including village	Shall be actively promoted.

	industries, convenience stores and local amenities.	
28.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc. to be promoted.
29.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
30.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities through organic farming and traditional fishing.	Permitted as per applicable laws.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(i) District Collector, Nellore – Chairman;

(ii) a representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for a term of one year in each case – Member;

(iii) one expert in the area of ecology and environment from reputed Institution or University of the State of Andhra Pradesh to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for a term of one year in each case- Member;

(iv) Representative of Wildlife Institute of India, Dehradun – Member

(iv) Regional Officer, State Pollution Control Board – Member

(v) Concerned senior Town Planner – Member

(vi) Deputy Conservator of Forests/Divisional Forest Officer incharge of Pulicat Bird Sanctuary —Member Secretary.

Terms of Reference:

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Deputy Conservator of Forests/Divisional Forest Officer incharge of Protected Area shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

[F. No. 25/48/2013-RE-ESZ]

Dr. G.V.SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

2845601/15-5

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

Annexure I

Detailed description of boundaries of the Eco-sensitive Zone

North: Eco-Sensitive Zone boundary of Pulicat Bird Sanctuary starts from 1 Km distance from North Valamedu Village and proceeds towards Eastern direction for 2 Kms and joins at Bay of Bengal.

East: The boundary of the Pulicat Bird Sanctuary is the boundary of the Eco-sensitive Zone towards eastern side all along the shore line of Bay of Bengal upto inter-state boundary of Tamil Nadu and Andhra Pradesh at 750m northern side of Pulinjerikuppam village.

South: The Eco-sensitive zone line starts at inter-state boundary of Andhra Pradesh and Tamil Nadu at 750m Northern side of Pulinjerikuppam village and runs all along the Tamil Nadu State boundary towards South and then runs towards west side and then runs Northern side and ends at 200meters western side of Arambakkam village.

West: The Eco-sensitive Zone lines starts from Tamil Nadu and Andhra Pradesh state boundary at a distance of 200 mtrs Western side of NH 5 near Karuru Village which is Station No.1 and the line runs along the Western side of NH 5 at a distance of 200mts and crosses NH 5 at Tada, Srikalahasthi Road Junction and joins at station No.2 which is the Railway crossing of Chenigunta village, and runs towards Northern direction touching vatembedu Village at Station No. 3, and then the line runs towards northerly direction and touches at Station No.4 of Karijatha Village, then the line runs Western side and touches Station No. 5 of Ulasapadava Irrigation Tank, then the line runs towards northerly direction and touches at Station No. 6 at Konepalli Villlage, then the line runs towards northerly direction touches at Station No. 7 Sridhanamalli Village, then the line runs northerly direction touches at Station No. 8 near Aanegottam Village and then the line runs Northern direction touches Station No. 9 at Pulathota Village, then the line runs Northern direction touches at Station No.10 near Diguva varattur and then the line proceeds and touches Station No.11 near Arur Village and then the line proceeds towards North-East direction touches Station No. 12 at Kogili Village and then the line proceeds towards Eastern direction and touches at station No.13 near Kokkupalem Villlage, then the line runs towards northerly direction and touches at station No.14, then the line runs towards northerly direction and touches at Station No.15 near Andalamala Village, then the line runs towards North-East Direction and joins at Sea shore line of Bay of Bengal at Station No. 16 near Valamedu Village which is closed Station.

Annexure II

Map of Eco-sensitive Zone along with coordinates

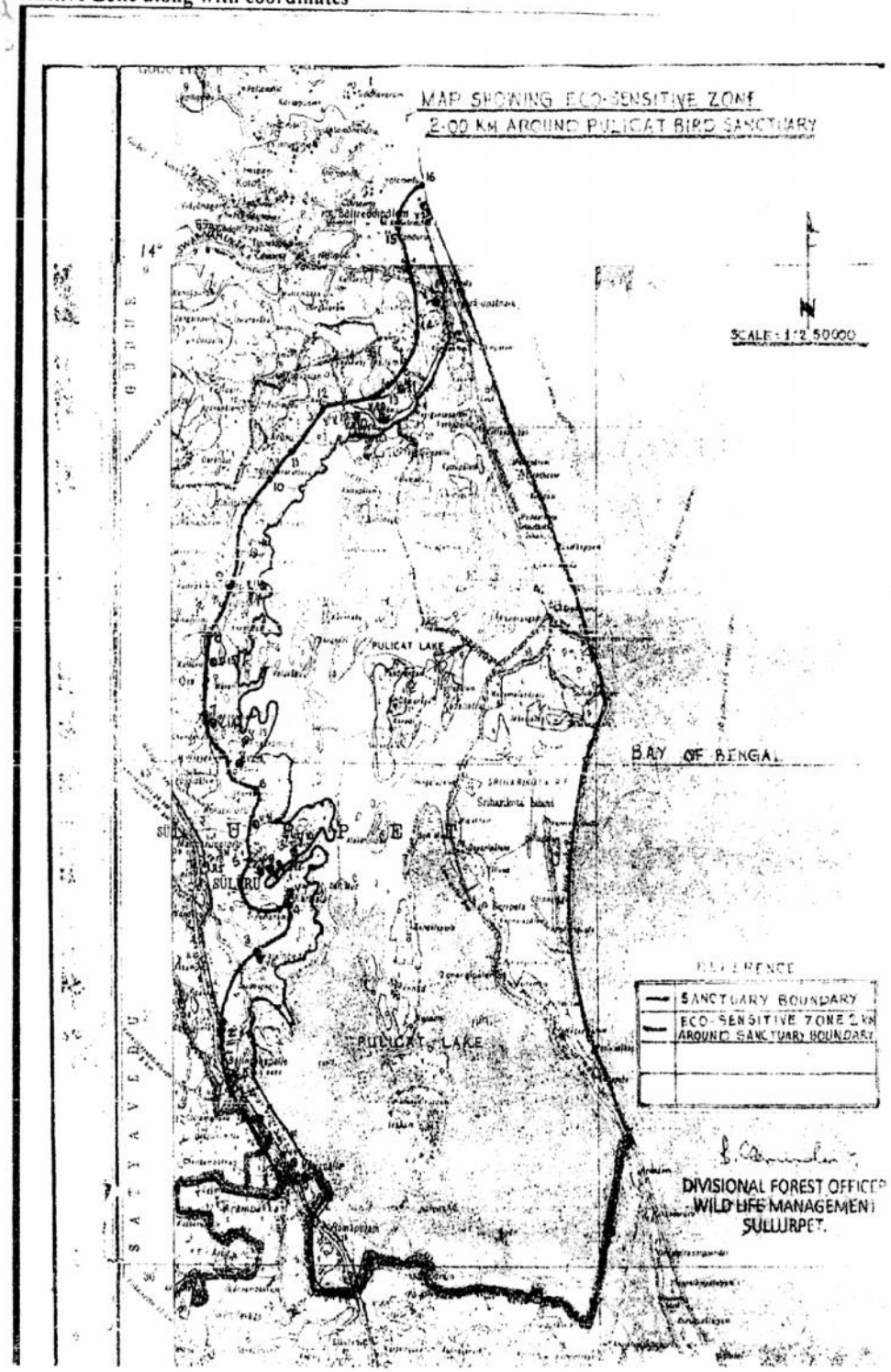

Annexure - II contd..

Station No.	Longitude	Latitude
1	80.06430	13.54570
2	80.02710	13.62600
3	80.05350	13.64849
4	80.07013	13.68507
5	80.04316	13.69985
6	80.04981	13.73569
7	80.01249	13.77264
8	80.01540	13.81469
9	80.03244	13.83767
10	80.04722	13.89051
11	80.05759	13.90740
12	80.09156	13.92855
13	80.12279	13.92966
14	80.14064	13.96720
15	80.13368	13.01651
16	80.14561	13.04674

Annexure III

List of Villages falling within the Eco sensitive Zone

LIST OF VILLAGES FALLING WITHIN ECO SENSITIVE ZONE			
S.No.	Name of the Revenue Village	Lat.	Long
V1	Bheemunivari Palem kuppam	13.5461200	80.0723000
V2	Bheemunivari Palem	13.5448200	80.0678900
V3	Pudi	13.5606700	80.0545200
V4	Tada	13.5874800	80.0347800
V5	Tada Kandriga	13.5953300	80.0292800
V6	Vatambedu	13.6543700	80.0481400
V7	Karijatha.	13.6831100	80.0657900
V8	Davadigunta	13.6952700	80.0430100
V9	KCN Gunta	13.6965500	80.0465800
V10	Kudiri	13.7071800	80.0704300
V11	Mannemutturu harijana wada	13.7182100	80.0301300
V12	Abaka	13.7499500	080.03.465
V13	Togaramudi	13.7604500	80.0419000
V14	Sridhanamalli	13.7742700	80.0202200
V15	Kalluru Kandriga	13.8006000	80.0267200
V16	Kattuvapalle	13.8348500	80.0442500
V17	Kattuvapalle harijana wada	13.8346800	80.0499400
V18	Singanalatturu	13.8567800	80.0369300
V19	Yelluru	13.9131500	80.1154300
V20	Pallamparthi	13.9231200	80.1229200
V21	Kokkupalem	13.9366400	80.1356000
V22	Duggarajapatnam	13.9803900	80.1560600
V23	Thupilipalem	14.0345000	80.1420100

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

K.S. REDDY,
Prl. Chief Conservator of Forests (WL) &
Chief Wild Life Warden (A.P.)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

FINAL NOTIFICATION No. 1366 (E), Dt: 28-04-2017 PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA REGARDING DECLARATION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KAMBALAKONDA WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE OF ANDHRA PRADESH

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1206] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2017/वैशाख 8, 1939
No. 1206] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2017/VAISAKHA 8, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2017

का.आ.1366(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 62(अ), तारीख 7 जनवरी, 2016, प्रारुप अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस जिसमें अधिसूचना अन्तर्विष्ट है राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, साठ दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नही हुए हैं;

और कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य, आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापटनम मेगा शहर के केन्द्र में अवस्थित है और 83.04′ से 83.20′ देशांतर और 17.34′ से 17.47′ अक्षांश के बीच 71.39 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य की जैव-विविधता समृद्ध हैं जिसमें 73 वृक्ष प्रजातियां, जड़ी-बूटियों तथा झाडियों की 39 प्रजातियों और लताओं की 18 प्रजातियों तथा बांस की 2 प्रजातियां और घासों की 7 प्रजातियों, 23 स्तनपायी प्रजातियों, सरीसृपों की 7 प्रजातियों सहित पक्षियों की 90 से अधिक प्रजातियां समाविष्ट की गई हैं ;

और, कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य में अनेक किस्मों की वनस्पतिजात है और झाड़ी वाले जंगल, *फाइकस बेंघालेन्सिस* (बनयान)(मार्री), *अकेशिया ल्यूकोफ्लोलिया* (वाइट ब्रेक अकेशिया)(तेल्ला तुम्मा), *अकेशिया सुन्द्रा* (कुच्छ ट्री)(सुन्द्रा), *सैपिन्डस इमर्जिनेटस* (सोअफुट वृक्ष)(कुनकुदु), *और राइटिया टिंक्टोरिया* (पाला इनदीगो)(रेप्पआला), आदि इस क्षेत्र की प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं ;

और, क्षेत्र प्राणी-जात विविधता से समृद्ध है जिसमें तेंदुआ (*पेंथेरा पार्डस*) (चिरुता पुली), रीछ (*मेलयूरूस अरसिनस*), बनैला सूअर (*सूस स्क्रोफा*)(इलुगु), सांभर(*रुसा यूनिकोलर*) (कानिथी), काकड़ हिरण (*मुनतअकस मुनतंजक*)(मोरिंग डूप्पि), पिसूरी (*तरागुसलुस मेमिन्ना*)(कुमिदी डुप्पि), चित्तीदार हिरण (*ऐक्सिस ऐक्सिस*)(डूप्पि), सियार(*कनिस अयरेस*)(नक्का) और जंगली कुत्ता (*कुओन अलपिनेस*)(रेछू रूक्का), आदि सम्मिलित हैं ;

और, कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य, विशाखापटनम के सुरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि मे पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो को तथा उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में कम्बलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 4.33 किलोमीटर की दूरी तक उत्तरी दिशा पर उत्तरी सीमा से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की वजह से) शून्य से गुजरने वाले क्षेत्र को कंबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**— (1) आन्ध्र प्रदेश राज्य के विशाखापटनम जिला में पारिस्थितिक संवेदी जोन 30.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है और इसमें में 2 मंडलो अर्थात् आनन्दापुरम और छिनांगधिली जिला विशाखापटनम में 14 ग्राम सम्मिलित हैं।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा शून्य से उत्तरी दिशा पर (उत्तरी दिशा पर राष्ट्रीय राजमार्ग के गुजरने के कारण) 4.33 किलोमीटर की दूरी पर कम्बलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से भिन्न हो रही है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है और ग्रामों की सूची **उपाबंध II** में दी गई है।

(4) अक्षांश-देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.— (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी अनुमोदन के लिए दिए गए अनुबंधों के अनुसरण में आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति में जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, अनुरूप भी तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी,:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि ;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना में तब तक अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों को सुधारने और अधिक दक्ष और पारिस्थितिक बनाने के लिए एक कारक होगा।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध किया जाएगा।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों को समर्थकारी मानचित्रों के साथ अभ्यांकित किया जाएगा योजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण देते हुए मानचित्रो द्वारा समर्थित होगी।

(7) आंचलिक महायोजना में, पारिस्थितिक संवेदी जोन के विकास किया जाएगा और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा और स्थानीय समुदायों के सुरक्षित जीव को प्रार्जन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल विकास को भी सुनिश्चित और सुरक्षित किया जाएगा ।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-विस्तार होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना मानीटरी समित के लिए इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार मानीटरी करने उसके कार्यों के कार्यान्वयन के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार होगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.**— राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग.**- (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्नाकित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का मुख्य वाणिज्यक या मुख्य आवासिक काम्पेल्कस या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, इसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सुसंगत राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार / राज्य सरकारो के ऐसी अन्य नियमों और विनियमों के अधीन जो लागू हो, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधो द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा है, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और पैरा 4 में दिए गए स्थानीय क्रियाकलाप भी है:

परंतु यह और कि सुंसगत राज्य विधियों और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपदर्शित, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण और प्राकृतिक वास सम्बधी क्रियाकलापों को पुन:स्थापित करन के लिए और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों नदियों और जलांतरालो की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी ।

(3) **पारिस्थितिक पर्यटन** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन सम्बधी क्रियाकलापो का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगा ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, किसी नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट, का संन्निमार्ण अनुज्ञात नहीं होगा। और वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए होटलो और रिसोर्ट की स्थापना पर्यटन महा योजना के अनुसार केवल पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित और अभिचिन्नित क्षेत्रो में ही अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रिय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते हुए जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए योजना आंचलिक महायोजना के भाग रूप विरासत संरक्षण योजना बनाई जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण की विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी आंचलिक महायोजना का भाग रूप होगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम, 2000 का पालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों सामान्य मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानको के अंतर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषको के निस्सारण से सम्बधित उपबंधो के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ; और
अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में किया जा सकेगा;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि. 343(अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा जैसे सीएनजी, एलपीजी, आदि स्वच्छक ईंधन के उपयोग प्रयास किया जाएगा ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में केवल उद्योगो के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों उपदर्शित किया जाएगा जहां संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी।

(ख)कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी।

(18) यदि यह आवश्यक समझा जाता है,तो इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अन्य अतिरिक्त उपायों विनिर्दिष्ट होगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अंतर्गत तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), अधिसूचना 2011 भी है और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) के उपबंधो और उसके किए गए संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) खनन संक्रियाए माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोदावर्ममन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 4 अगस्त, 2006 के आदेशो के अनुसार और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसार होगी।
2.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि आदि प्रदूषण कारित करने वाले नए उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण में हरित या श्वेत कृषि रूप में वर्गीकृत उद्योगों को जिसके अन्तर्गत कृषि आधारित उद्योग भी है विनियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
3.	प्रमुख पनबिजली परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यक स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित लघु को अस्थायी संरचना के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक जो भी निकटतम हो कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परन्तु संरक्षित क्षेत्र सीमा से एक किलोमीटर के पश्चात और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकटतम हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जो लागू हो, के अनुरूप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो किसी भी प्रकार का काई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत भवन उपविधियों के पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और

		विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर के पश्चात आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
11.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे और भूमिगत केबल बिछाने को बढावा दिया जाएगा।
17.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, दुग्ध उद्योग कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
22.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	खुले कुआ, बोर जल, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रुप से बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. **मानीटरी समिति.—** केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदन्त शक्तियों को उपयोग करते हुए पारिस्थितक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:--

(i) जिला कलक्टर, विशाखापटनम - अध्यक्ष;

(ii) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है जिसे आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य ;

(iii) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(iv) सदस्य-सचिव / राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य - सदस्य ;

(v) क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेडक – सदस्य ;

(vi) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार/मुख्य शहरी योजनाकार/नगरी योजनाकार - सदस्य;

(vii)उप-वन संरक्षक (अभयारण्य का भारसाधक), विशाखापटनम – सदस्य सचिव।

(2) निर्देश - निबंधन

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का.आ 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में आते है और जो पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आते है इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित यथाविनिर्दिष्ट मानीटरी सिमित द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधो के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(ग) ऐसे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूची में नहीं आते है, किंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आते है, इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय सभी क्रियाकलापो की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित यथाविनिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और संबधित विनियामक प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(घ) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या सम्वधित पार्क का वनपालक, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होंगे।

(ड.) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(च) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य जीव वार्डन **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(छ) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

7. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित किए जाने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन, होंगे ।

[फा.सं. 25/53/2014-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

<u>पारिस्थितिक-संवेदी जोन का सीमा विवरण:</u>

क से ख: यह मिंडीवानीपलेम ग्राम के उत्तर-पूर्व में 17.879530⁰ उत्तरी ओर 83.31665⁰ पूर्वी निर्देशांकों से लगे स्थल से शुरु होता है। यह सीमा रेखा एनएच-38 के किनारे से जाती है और गंभीरम रिजर्वायर के समीप दिलोक्स के पीछे से गुजरकर 17.87368 उत्तरी और 83.36599 पूर्वी निर्देशांक से लगे स्टेशन 'ख' को छूती है। क से ख स्टेशन की कुल दूरी 6.985 कि.मी. है। इस पारिस्थितिक-संवेदी जोन की परिधि 200-780 मीटर लंबी है। वर्तमान में राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित पारिस्थितिक-संवेदी जोन की दूरी 200 मीटर है।

ख से ग: यह रेखा पारादेसीपलेम ग्राम से होकर एनएच-5 और उत्तर 17.85700⁰ पूर्वी 83.36642⁰ के निर्देशांकों से स्टेशन सं. ग तक अभयारण्य सीमा के साथ साथ गुजरती है। स्टेशन ख से ग की दूरी कि.मी 1.854 है इस पारिस्थितिक संवेदी जोन की परधि की लम्बाई 140-308 मीटर है। प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर की सीमा 100 मीटर है।

ग से घ: यह सीमा रेखा बोरा वनीयापलेम गांव के पीछे से होकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाती है और देवीमेट्टा के चारो तरफ होकर उत्तर 17.83320⁰ पूर्व 83.32771⁰ निर्देशांको के साथ स्टेशन घ पर पहुंचती है जो कोमाडी गांव के पीछे स्थित चैतन्य इंजीनियरिंग कॉलेज के पास स्थित है ग से घ स्टेशन की कुल दूरी 5.469 किलोमीटर है पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र की वित लम्बाई 100-690 मीटर है प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के संरक्षित के चारों ओर की सीमा 100 मीटर है।

घ से ङ: यह रेखा पट्टा भूमियों से होकर दक्षिण पूर्वी में और कोमाडी, रेवालापलेम ग्रामों की खाली भूमियों से होकर जाती है जिसमें पुलिस प्रशिक्षण केद्र और बाबा प्रौद्योगिक एवं विज्ञान संस्थान शामिल है तथा यह उत्तर 17.79258⁰ पू 83.35585⁰ निर्देशांको से हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी एवं प्राईवेट लेआइट्स से होकर गुजरती है: घ से ङ स्टेशन की कुल दूरी 5.121 किलोमीटर है । पारिस्थितिक संवेदी जोन की परिधि की लंबाई 100-286 मीटर है संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित दूरी 100 मीटर है।

ङ से च: रेखा एनएच-5 के दक्षिण की ओर से उत्तर दिशा की ओर गुजरती है और सीथाकोंडा आरक्षित वन की सीमा से होकर गुजरती है जिसमें इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, विशाखापटनम शामिल है, और उ. 17.75352⁰पू. 83.35258⁰ के

निर्देशांकों से स्टेशन 'च' में इंडाडा ग्राम के परिसर से होकर गुजरती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन की परिधि की सीमा लंबाई 100-1360 मीटर है। रिजर्व वन के क्षेत्र को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर की प्रस्तावित दूरी 100 मीटर है।

च से छ: यह रेखा सीथाकोंडा आरएफ रविन्द्र नगर, आरीलोवा कॉलोनियों के दक्षिण में पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और उ. 17.76622⁰ पू.83.30101⁰ के निर्देशांको से मुडासरलोवा रिजर्वायर में स्टेशन 'छ' पर पहुंचती है। स्टेशन च से छ की कुल दूरी कि.मी 6697 है। इस पारिस्थितिक संवेदी जोन की परिधि की सीमा लंबाई 127-1280 मीटर है। संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित दूरी 300 मीटर है।

छ से ज: यह रेखा, पाईन एप्पल कॉलोनी और दारापलेय के पीछे पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और बीआरटीएस को कवर करते हुए पाटा अडाविवरम जंक्शन को छूती है तथा उ.17.77881⁰ पू. 83.25546⁰ के निर्देशांकों से स्टेशन ज को छूती है। ज से झ स्टेशन की कुल दूरी 3.375 कि.मी. है। इस पारिस्थितिक-संवेदी जोन की परिधि की सीमा लंबाई 240-418 मीटर है। संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित दूरी 300 मीटर है।

ज से झ: रेखा, येराकोंडा आरएफ सीमा को छूते हुए उत्तरी दिशा की ओर जाती है। और पश्चिम सीमा कंबलाकोंडा एक्सटेंशन आरएफ सीमा से गुजरते है जिसमें दब्बांद, मन्नेपलेम, गोल्लालापलेम, मालापल्ली, अप्पीकोंडापलेम ग्राम शामिल हैं और उ. 17.84462⁰ पू.83.27127⁰ के निर्देशांको पर स्टेशन –I को छूती है जो कांबलकोंडा एक्सटेशन, आरएफ का स्टेशन सं. 2 है स्टेशन ज से की कुल दूरी 8.513 किलोमीटर है। इस पारिस्थितिक संवेदी जोन की परिधि की सीमा की लम्बाई – 1782386 मीटर है। रिजर्व वन के क्षेत्र को छोडकर संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर की औसत मध्य दूरी 200 मीटर है।

झ से ञ: यह रेखा, ममिडिलोवा ग्राम को पीछे छोड़ते हुए स्टेशन सं. 7 तक कांबलकोंडा एक्सटेंशन आरएफ सीमा के साथ-साथ पूर्वी दिशा की ओर जाती है और उ.17.85074⁰ पू.83.30030⁰ के निर्देशांकों पर डिब्बामीडिपलेम ग्राम के ओवर हेड टैंक पर स्टेशन ञ को छूती है। झ से ञ स्टेशन तक की कुल दूरी-3.190 मीटर है। इस पारिस्थितिक-संवेदी जोन की परिधि की सीमा लंबाई 604-2003 मीटर है। रिजर्व वन के क्षेत्र को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर की प्रस्तावित दूरी 300 मीटर है।

ट से क: यह रेखा, फूटहिल्स के साथ-साथ के कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य सीमा के लगभग समानांतर उत्तरी दिशा में जाती है और उ. 17.87953⁰ पू. 83.31665⁰ के निर्देशांकों पर स्टेशन क पर पहुंचती है। ट से क स्टेशन तक की कुल दूरी 3.80 किलोमीटर है। इस पारस्थितिक-संवेदी जोन की परिधि की सीमा लंबाई 216-578 मीटर है। संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित दूरी 300 मीटर है।

उपाबंध-II

पारस्थितिक-संवेदी जोन में कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य के भीतर आने वाले गांवों की सूची

1. आनंदपुरम मंडल:-बोयापलेम, पारादेसिपलेम, दब्बांडा, गोल्लालापलेम, गंडरेडिपलेम, मालापल्ली, अप्पीकोंडापलेम, मन्नेपलेम और डिब्बामीडिपलेम।
2. चिनागचिली मंडल:-लटचकोडुपलेम, येनडाडा, आरीलोवा, डारापलेम और अडिविवारम।

उपाबंध-III

अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र

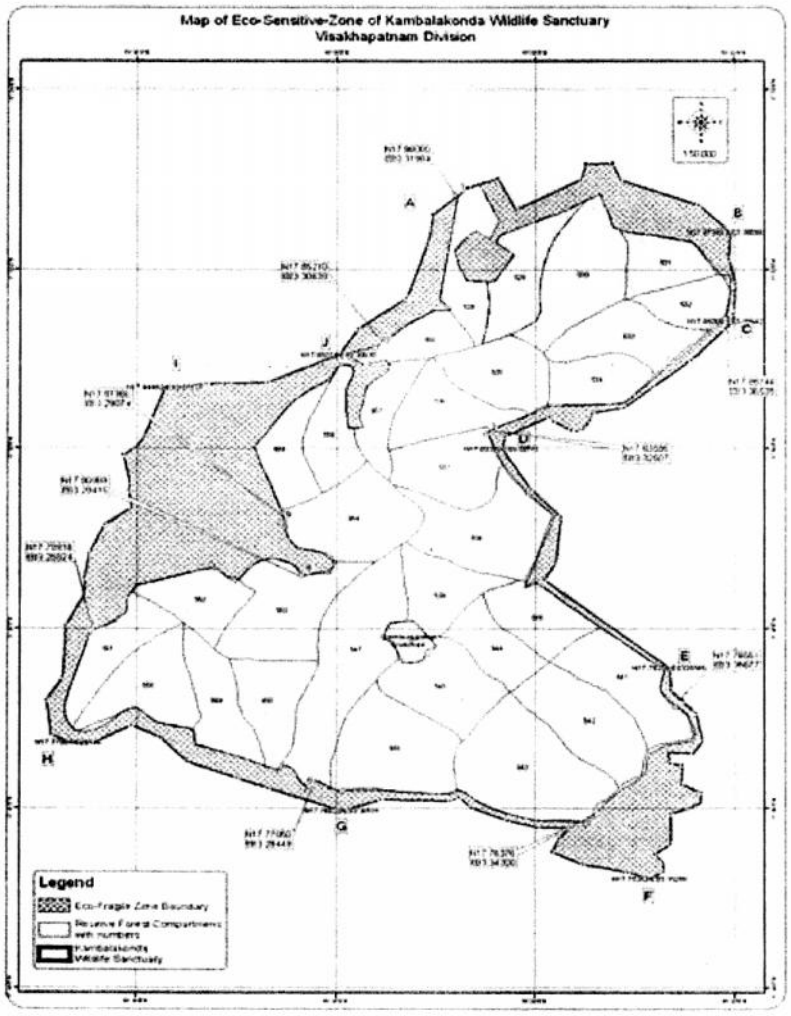

उपाबंध III

कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य (अक्षांश-देशांतर) के प्रमुख स्थानों के जीपीएस निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1	17.88060	83.31984
2	17.85744	83.36535
3	17.83585	83.32507
4	17.78551	83.35677
5	17.76376	83.34200
6	17.77050	83.29449
7	17.79918	83.25824
8	17.80969	83.29415
9	17.81966	83.29074
10	17.85210	83.30638

पारिस्थितिक संवेदी जोन में (अक्षांश -देशांतर) कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख स्थानों के जीपीएस निर्देशांक

क्र.सं.	नाम	अक्षांश	देशांतर
1	ए	17.87692	83.31600
2	बी	17.87368	83.36599
3	सी	17.85700	83.36642
4	डी	17.83320	83.32771
5	ई	17.79258	83.35585
6	एफ	17.75352	83.35258
7	जी	17.76622	83.30101
8	एच	17.77881	83.25546
9	आई	17.84462	83.27127
10	जे	17.85074	83.30030

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि :
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

FOREST DEPARTMENT

Rc. No.779/2007/WL-1 (iv), Dt: 09-06-2017

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2017

S.O. 1366(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 62 (E), dated the 7th January 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, no objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Kambalakonda Wildlife Sanctuary is situated in the heart of Visakhapatnam Mega City in Andhra Pradesh and is spread over an area of 71.39 square kilometres between 83.04' to 83.20' Longitudes and 17.34' to 17.47' Latitudes;

AND WHEREAS, the Kambalakonda Wildlife Sanctuary maintains very rich bio-diversity comprising 73 tree species, 39 species of herbs and shrubs, and 18 species of climbers, 2 species of Bamboos and 7 species of grasses, 23 mammal species, 7 species of reptiles and more than 90 species of birds have been documented from the said Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, the Kambalakonda Wildlife Sanctuary harbours large variety of flora and is characterised by a scrub jungle the major tree species of the area are *Ficus banghlensis* (Banyan) (Marri), *Acacia lucophloea* (White Bark Acacia) (Tella tumma), *Acacia chundra* (Cutch Tree) (Sundra), *Sapindus emarginatas* (Soapnut Tree) (Kunkudu), *and Wrightia tinctoria* (Pala indigo) (Reppala) etc;

AND WHEREAS, the area harbours a rich faunal diversity which includes, Leopard (*Panthera pardus)* (Chiruta Puli), Sloth Bear *(Melurus ursinus*), Wild Boar (*Sus scrofa*) (Elugu), Sambar (*Rusa unicolor*) (Kanithi), Barking Deer (*Muntiacus muntjak*) (Morige duppi), Mouse Deer (*Tragulus meminna*) (Kumidi duppi), Spotted Deer (*Axis axis*) (Duppi), Jackal (*Canis aureus*),(Nakka) and Wild Dog (*Cuon alpines*) (Rechu Kukka), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the boundary of the protected area of the Kambalakonda Wildlife Sanctuary, Visakhapatnam as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries or and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of zero on Northern Side (due to National Highway passing on Northern side) kilometres upto 4.33 kilometres from the boundary of the Kambalakonda Wildlife Sanctuary in the State of Andhra Pradesh, as the **Kambalakonda Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone** (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone.**—(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 30.51 square kilometres in Visakhapatnam District in the state of Andhra Pradesh and includes 14 villages of 2 Mandals viz. Anandapuram and Chinagadhili in Visakhapatnam District.

(2) The extent of the Eco-sensitive Zone varying from zero on Northern Side (due to National Highway passing on Northern side) to 4.33 kilo meters from the boundary of the Kambalakonda Wildlife Sanctuary.

(3) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I** and the list of villages are given in **Annexure-II.**

(4) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes is appended as **Annexure III.**

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—**

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.—** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

1) Landuse.-

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant state laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:-

i. widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
ii. construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
iii. small scale industries not causing pollution;
iv. cottage industries including village industries; convenience stores and local p activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant state laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.—The catchment areas of all natural springs, rivers and channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

3. **Tourism/ Eco-tourism.—**

(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by The National Tiger Conservation Authority with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel or resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.— All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.— Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.— Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.— Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.— Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.— Disposal and Management of solid wastes shall be as under.-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; and the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.— Bio medical waste management shall be as under.-

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.— The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.

(12) Construction and Demolition Waste Management.— The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.— The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is

prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.— Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units.— (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.— The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.—

All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), notification 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and dated 21st 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of new industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Industries categorised as Green or White in the Central Pollution Control Board classification including agro-based small scale industries, will be regulated as per regulations.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws: Provided Further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Setting up of brick kilns.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures .	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law
18.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws.

22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted .
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
36.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
37.	Environmental Awareness .	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.— (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(i) District Collector, Visakhapatnam —Chairman

(ii) One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for three years —Member

(iii) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for three years —Member

(iv) Member- Secretary/ Member of the State Biodiversity Board —Member

(v) Regional Officer, State Pollution Control Board, Medak —Member

(vi) Senior Town Planner of the area/Chief Urban Planner/City Planner —Member

(vii) Deputy Conservator of Forests (In Charge of the Sanctuary), Visakhapatnam —Member Secretary.

(2) Terms of Reference.-

(a) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(b) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to

the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(c) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(d) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(e) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(f) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV.**

(g) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/53/2014-ESZ-RE]
LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure I

Boundary description of Eco-Sensitive Zone:

A to B: Starting from a point with co-ordinates N 17.87953^0 E 83.31665^0 E on the North East of Mindivanipalem Village. A line runs along the SH-38 and passes behind hillocks adjacent to Gambhiram Reservoir and touches the station 'B' with co ordinates N 17.87368 E 83.36599. The total distance from A to B station is 6.985 Kms. The Range of radius of the Eco-sensitive Zone is 200-780 metres on along the length. The proposed Eco-sensitive Zone distance is 200 metres surrounding the protected area excluding the present existing State and National highways road.

B to C: The line runs along the NH-5 passing through Paradesipalem Village and along Sanctuary boundary upto station no 'C' with co-ordinates N 17.85700^0 E 83.36642^0. The total distance from B to C station is 1.854 Kms. The Range of radius of the Eco-sensitive Zone is 140-308 metres on along the length. The proposed Eco-sensitive Zone distance is 100 metres surrounding the protected area.

C to D: The line runs South westerly direction behind Boravaniapalem Village and runs around the Devimetta and reaches at station 'D' with co-ordinates N17.83320^0 E 83.32771^0 near Sri Chaitanya Engineering College behind Kommadi Village. The total distance from C to D station is 5.469 Kms. The Range of

radius of the Eco-sensitive Zone is 100-690 metres on along the length. The proposed Eco-sensitive Zone distance is 100 metres surrounding the protected area.

D to E: The line runs South Easterly direction runs through patta lands and vacant lands of Kommadi, Revallapalem villages which includes Police Training Centre and Baba Institute of Technology and Sciences and passes through Housing Board Colony and Private layouts with co-ordinates N 17.79258^0 E 83.35585^0. The total distance from D to E station is 5.121 Kms. The Range of radius of the Eco-sensitive Zone is 100-286 metres on along the length. The proposed distance is 100 metres surrounding the protected area.

E to F: The line runs north along NH-5 Southerly and runs along the boundary of Seethakonda Reserve Forest which includes Indira Gandhi Zoological Park, Visakhapatnam and passes through outskirts of Endada Village at station 'F' with co-ordinates N 17.75352^0 E 83.35258^0. The total distance from E to F station is 6.335 Kms. The Range of radius of the Eco-sensitive Zone is 100-1360 mtrs on along the length. The proposed distance is 100 metres surrounding the protected area excluding the area of Reserve Forest.

F to G: The line runs Westerly direction all along the Southern boundary of Seethakonda RF Ravindranagar, Aarilova Colonies and reaches at station 'G' at Mudasarlova Reservoir with co-ordinates N 17.76622^0 E 83.30101^0. The total distance from F to G station is 6.692 Kms. The Range of radius of the Eco-sensitive Zone is 127-1280 metres on along the length. The proposed distance is 300 mtrs surrounding the protected area.

G to H: The line runs Westerly direction behind Pineapple colony and Darapalem and touches Pata Adavivaram Junction covering BRTS roads and touches station H with co-ordinates N 17.77881^0 E 83.25546^0. The total distance from G to H station is 3.375 Kms. The Range of radius of the Eco-sensitive Zone is 240-418 mtrs on along the length. The proposed distance is 300 mtrs surrounding the protected area.

H to I: The line runs Northerly direction touching Yerrakonda RF boundary and runs along the Western boundary Kambalakonda Extn RF boundary which includes Dabbanda, Mannepalem, Gollalapalem, Malapalli, Appikondapalem Villages and touches Station I which is station no.1 of Kambalakonda Extn., RF with co-ordinates N 17.84462^0 E 83.27127^0. The total distance from H to I station is 8.513 Kms. The Range of radius of the Eco-sensitive Zone is 178-2386 metres on along the length. The mean distance is 200 metres surrounding the protected area excluding the area of Reserve Forest.

I to J: The line runs Easterly direction along the Kambalakonda Extn RF boundary upto Station no.7 leaving Mamidilova Village behind and touches Station J at over head tank of Dibbameedipalem Village with co-ordinates N 17.85074^0 E 83.30030^0. The total distance from I to J station is 3.190 Kms. The Range of radius of the Eco-sensitive Zone is 604-2003 metres on along the length. The proposed distance is 300 metres surrounding the protected area excluding the area of Reserve Forest.

J to A: The line runs Northerly direction almost all parallel to Kambalakonda Wildlife Sanctuary Boundary along the foothills reaches Station A with co-ordinates N 17.87953^0 E 83.31665^0. The total distance from J to A station is 3.80 Kms. The Range of radius of the Eco-sensitive Zone is 216-578 metres on along the length. The proposed distance is 300 metres surrounding the protected area.

Annexure II

List of Villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone of Kambalkonda Eco-Sensitive Zone

1. Anandapuram Mandal:- Boyapalem, Paradesipalem, Dabbanda, Gollalapalem, Gandreddipalem, Malapalli, Appikondapalem, Mannepalem and Dibbameedipalem.
2. Chinagadhili Mandal:- Latchakodupalem, Yendada, Aarilova, Darapalem and Adivivaram.

Annexure III

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes

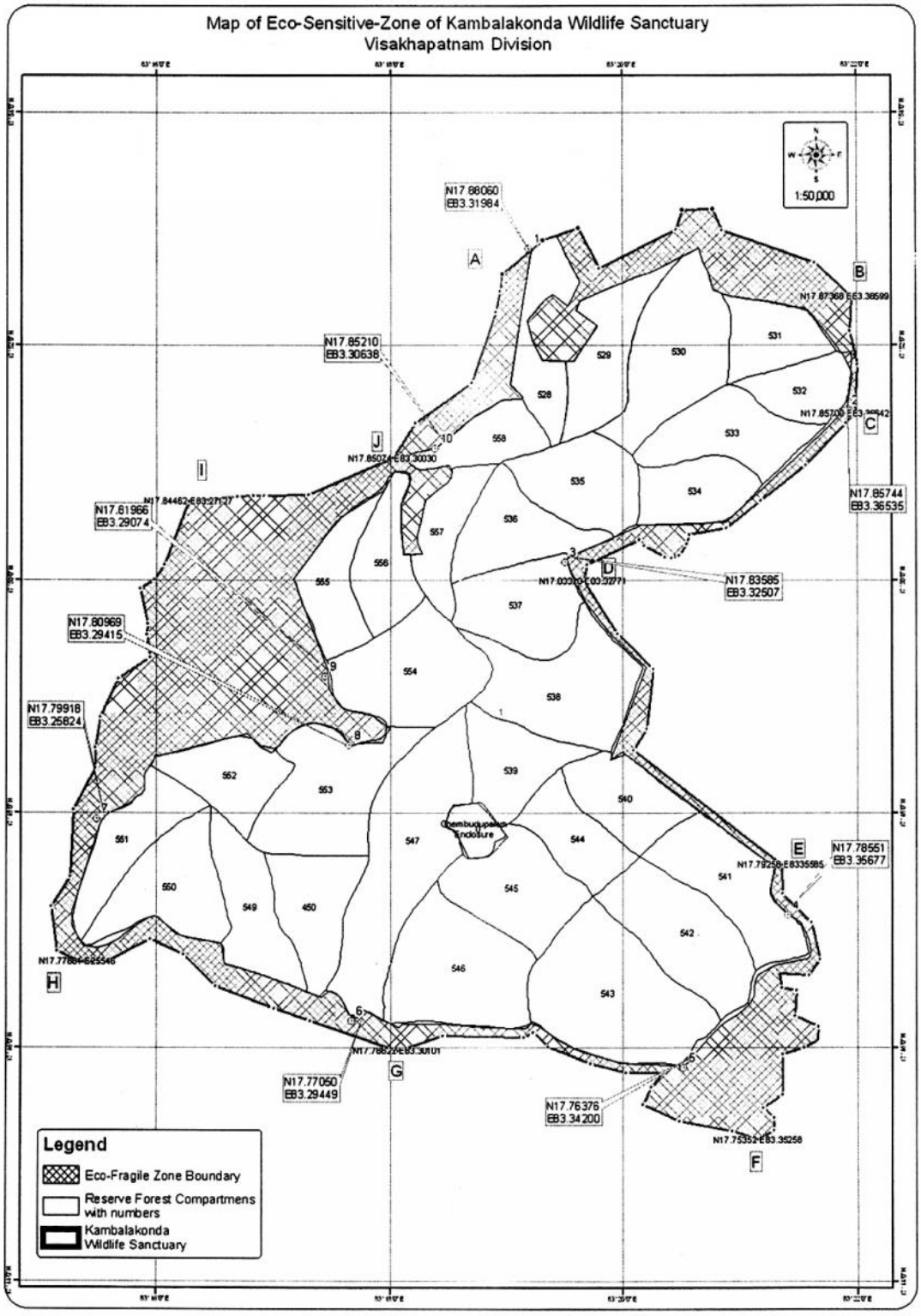

GPS Coordinates (Latitude-Longitude) of Prominent Locations of Kambalakonda Wildlife Sanctuary

Sl.no.	Latitude	Longitude
1	17.88060	83.31984
2	17.85744	83.36535
3	17.83585	83.32507
4	17.78551	83.35677
5	17.76376	83.34200
6	17.77050	83.29449
7	17.79918	83.25824
8	17.80969	83.29415
9	17.81966	83.29074
10	17.85210	83.30638

GPS Coordinates (Latitude-Longitude) of Prominent Locations of Kambalakonda Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone

Sl.no.	Name	Latitude	Longitude
1	**A**	17.87692	83.31600
2	**B**	17.87368	83.36599
3	**C**	17.85700	83.36642
4	**D**	17.83320	83.32771
5	**E**	17.79258	83.35585
6	**F**	17.75352	83.35258
7	**G**	17.76622	83.30101
8	**H**	17.77881	83.25546
9	**I**	17.84462	83.27127
10	**J**	17.85074	83.30030

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings :
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

S.K. CHHOTTRAY,
Principal Chief Conservator of Forests (WL) &
Chief Wild Life Warden (A.P.).

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.05.03 12:11:46 +05'30'

FINAL NOTIFICATION No.1567(E), Dt: 15-05-2017 PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA REGARDING DECLARATION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND GREAT INDIAN BUSTARD ROLLAPADU WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE OF ANDHRA PRADESH.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1384] नई दिल्ली, सोमवार, मई 15, 2017/वैशाख 25, 1939
No. 1384] NEW DELHI, MONDAY, MAY 15, 2017/VAISAKHA 25, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2017

का.आ. 1567(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3127 (अ), तारीख 20 नवम्बर, 2015 द्वारा, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, राजपत्र की प्रतियां 20 नवम्बर, 2015 जनता को उपलब्ध कराई गईं थी;

और, पणधारियों से कोई टिप्पणी से प्राप्त नहीं हुए हैं;

और, ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य, आंध्र प्रदेश के करनूल जिले में अक्षांश 15.72 से 15.75 और देशांतर 78.33 से 78.37 के बीच स्थित है और 6.14 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है;

और, वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी घाट को नल्लामलाई और इरामलाई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच रालापाडू को सूखी ढलान भूमियों पर अवस्थित है और इसमें बेहतरीन घास का मैदान है, जो घास चरने वाले विभिन्न प्रकार के पशुओं के लिए एक अत्युत्तम पर्यावास है;

और, यह अभयारण्य विशुद्ध् रूप से एक घास के मैदान वाला अभयारण्य है। जहां अद्भुत प्रकार की वनस्पति और जीव जंन्तु पाये जात है और इस अभयारण्य में पाई जाने वाली सामान्य घास *असिटिडा फ्यूनिकलाटा* (चेच्पूरू गद्दी), *क्राइसोपोगोन फलवुस* (गोलडेन बेअरड ग्रास), *हेटेरोपोगोन प्रजातियां*(ब्लेक सिपर ग्रास) (केसरी गद्दी), *सिम्बोपागोन प्रजातियां* (बोदा गद्दी), *सेहिमा नवोसम* आदि है जो मौसमों नदियों के किनारे *मोरिंडा टिंकटोरिया* (टगरू), *जिजाइफस मौरिटिआना* (गोट्टी) और *फोनेक्स* (ईटा) के साथ फैली हुई है;

और यह अभयारण्य विलुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टार्ड (*चोरिओटिस निगरिकेपस*) (मेका बट्टा पिट्टा) का आश्रय-स्थल है, जो इस अभयारण्य का एक फ्लैगशिप प्रजाति है और अन्य मुख्य पशु प्रजातियां लेसर फ्लोरिकैन (*सलफेओटीडेस इंडिका*) (नेल्लाला नेमलि), ब्लैक बक (*अनटेलोपे करविकापरा*)(कृष्णा जिनिका), इंडियन वुल्फ(*कैनिस लूपस पल्लिपस*)(टोडेलु),और मांनिटर लैजार्ड(*वेरनस फलावीसकेनस*), आदि है;

और, ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य, के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य, में 1.6751 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत क्षेत्र को ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य, की सीमा से 100 मीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**-(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन आंध्र प्रदेश के करनूल जिले में ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई ग्राम सम्मिलित नहीं है और पूरे पारिस्थितिक संवेदी जोन में कृषि क्षेत्र सम्मिलित है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा वर्णन **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा का मानचित्र और उसके अक्षांश और देशांतर **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(5) ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –** (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, सें तैयार की जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि ;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी। इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का समर्थन किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पर्यावरण के अनुकूल विकास को सुनिश्चित और प्रोन्नत भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और यथा लागू विनियमों और इस अधिसूचना के उपबंधों जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगें जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास भी है; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिया गया है:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन सम्बंधी क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगे।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जायेगा।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि, पारिस्थितिक संवेदी जोन के वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से आगे तक नये होटल और रिसोर्ट का स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित और पदाभिहित क्षेत्रों के लिए किया जाएगा ;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नये होटल/ रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापनों का विनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, औ उसमें किए गए संशोधनों के अधीन तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार तैयार करेगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण साधारणों मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भराई का स्थापन अनुज्ञात नहीं होगा ;

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि हैं ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात या प्रकाशन पर, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 जारी में मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो । इसके अलावा, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(18) अगर यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोर्विंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के कठोर अनुसरण का प्रचालन होगा।
(2)	आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	कोई नई या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति दी जाएगी। पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सिर्फ गैर-प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा गैर प्रदुषित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(5)	नए वृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान नए काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार चालू रह सकते हैं।
(9)	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(10)	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भष्मीकरण की सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल का कोई सामान्य उपचार सुविधा या प्रसंस्करण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भष्मीकरण की सुविधा का अधिष्ठापन प्रतिषिद्ध है।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(11)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप छोटी अस्थायी संरचनाओं के लिए के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।

		वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि, पारिस्थितिक संवेदी जोन के वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से आगे तक नये होटल और रिसोर्ट का स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित और पदाभिहित क्षेत्रों के लिए किया जाएगा।
(12)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: (ख) परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण; (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं पारिस्थितिक पर्यटन गृह वास सहित है; और (v) इस अधिसूचना में संवर्धित क्रियाकलापों की सूची : (ख) परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
(13)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्य योजना निर्देशों का पालन किया जाएगा।
(14)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे हवाईजहाज, गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(15)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार श्वेत प्रवर्ग निबंधित गैर-प्रदूषण उद्योग और गैर-परिसंकटमय लघु उद्योग तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन से सेवा उद्योग, कृषि, पुष्पकृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित उद्योग उत्पाद से देशी-सामाग्री सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किए जाएंगे।
(16)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) किसी भी स्त्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
(17)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबलों को बढ़ावा दिया जाएगा।
(18)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

(19)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
(20)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(21)	विदेशी प्रजातियों को लाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(22)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(23)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
(24)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(25)	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(26)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिर्स्राव के निस्सारण को जल निकायों में प्रवेश करने में रोका जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनचर्क्रण और पुन: उपयोग का प्रयास किया जाएगा। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिर्स्राव के निस्सारण लागू विधियों के अनुसार होगा।
(27)	वन उत्पादों और गैर-काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन टी एफ पी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(28)	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(29)	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(30)	भूमिगत-जल पृथक्करण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(31)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(32)	प्लास्टिक थैलों का उपयोग और अन्य प्रकार के प्लास्टिक की पैकिंग आदि का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(33)	कृषि प्रणाली में आमूल में परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(34)	पारिस्थितिक-पर्यटन क्रियाकलाप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
(35)	डेयरी, डेयरी उद्योग और मत्स्य उद्योग के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और वागवानी गतिविधियां।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(36)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(37)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(38)	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(39)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(40)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायो गैस, सोलर लाईट आदि को बढावा दिया जाएगा।
(41)	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(42)	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(43)	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(44)	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:--

(i)	जिला कलेक्टर, करनूल	अध्यक्ष ;
(ii)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित संस्थान अथवा राज्य के विश्वविद्यालय से पारिस्थतिकी विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में नामित एक विशेषज्ञ।	सदस्य;
(iv)	राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य-सचिव/ सदस्य	सदस्य;

(v) क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,मेढक सदस्य;

(vi) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार या मुख्य शहरी योजनाकार या नगर योजनाकार सदस्य;

(vii) उप वन संरक्षक (वन्यजीव प्रभारी) सदस्य-सचिव;

6.निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित पार्क का उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/128/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा विवरण

पूर्व (क से ख):- पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा रेखा मानचित्र में दिखाए गए **अनुसार स्टेशन 'क' से शुरू होती है (वेलेगोडे क्षेत्र को कम्पार्टमेंट संख्या 914 का उत्तर-पूर्वी कोना) स्टेशन 'क' जीपीएस रिडिंग** 15.75480 उ. 78.37790 **पू. है और इसकी सीमा रेखा ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से** 100 **मीटर की चौडाई के साथ कम्पार्टमेंट संख्या** 914 **की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिणी दिशा की ओर चलती है। स्टेशन 'बी' की जीपीएस रिडिंग** 15.73720 उ., 78.37800 **पू., है।**

दक्षिण (ख से घ):- वहां से पारिस्थितिक संवेद जोन की सीमा रेखा ग्रेट इंडियन बस्टार्ड,(जीआईबी) रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य,की सीमा से 100 मीटर की चौडाई के साथ वेलेगोडे रेंज के कम्पार्टमेट संख्या 914 की दक्षिणी सीमा के साथ स्टेशन 'बी' से सर्पाकार तरीके से पश्चिमी की ओर चलती है और मानचित्र पर दर्शाए अनुसार (कम्पार्टमेंट संख्या 914 की दक्षिण- पश्चिम कोना) 15.73850-78.34540 के अक्षांश – देशांतर के साथ स्टेशन 'सी' के साथ मिलती है। वहां से सीमा रेखा ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य से 100 मीटर की चौडाई के साथ वेलेगोडे रेंज को कम्पार्टमेंट संख्या 915 की पूर्वी सीमा के साथ–साथ दक्षिण- पश्चिम दिशा की ओर कुछ दूरी तक चलती है । वहां से यह सीमा रेखा ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य की पूर्वी सीमा के साथ –साथ 100 मीटर की चौडाई के साथ दक्षिण- पूर्व दिशा में चलती है। वहां से यह सीमा रेख वेलेगोडे रेंज को कम्पार्टमेंट संख्या 915 की सीमा रेख से 100 मीटर की चौडाई के साथ-साथ ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर की चौडाई के साथ उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलती है और मानचित्र में दर्शाए अनुसार(कम्पार्टमेंट संख्या915 के दक्षिण – पश्चिम कोने से 100 मीटर की चौडाई) स्टेशन 'डी' से मिलती है। स्टेशन 'डी' की जीपीएस रीडिंग 15.72760 उ., 78.33860 पू. है।

दक्षिण (घ से ड.):- वहां से सीमा रेखा, उत्तरी दिशा की ओर वेलेगोडे रेंज की कम्पार्टमेंट संख्या 915 की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ 100 मीटर की चौडाई सहित स्टेशन'डी' से सर्पाकार तरीके से उत्तरी दिशा की ओर चलती है और मानचित्र में दर्शाए अनुसार (कम्पार्टमेंट संख्या 915 का उत्तर–पश्चिम कोना) स्टेशन 'ई' से मिलती है जैसा कि स्टेशन 'ई' से मिलती है जैसा कि स्टेशन 'ई' की जीपीएस रीडिंग 15.74400उ., 78.33620पू. (कम्पार्टमेंट संख्या 915 के उत्तर पश्चिम कोने से 100 मीटर चौडाई) है।

दक्षिण (ड. से क):- वहां से सीमा रेखा पूर्वी दिशा की ओर कम्पार्टमेंट संख्या 915 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर की चौडाई सहित स्टेशन 'ई' से सर्पाकार तरीके से पूर्वी दिशा की ओर चलती है और मानचित्र में दर्शाए अनुसार स्टेशन 'ए' के प्रारंभ बिंदु से मिलती है। स्टेशन 'ए' की जीपीएस रीडिंग 15.75480उ., 78.37790 पू. (कम्पार्टमेंट संख्या 914 के उत्तर- पूर्व कोने से 100 मीटर चौडाई) है।

उपाबंध II

अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र

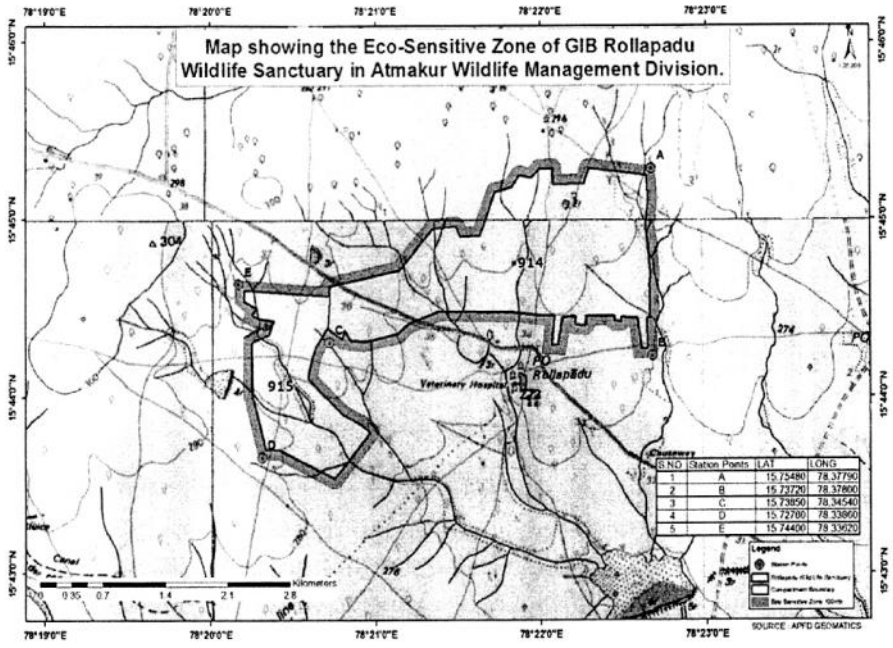

ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक (अक्षांश- देशांतर) का सारणी

क्र.सं	प्रमुख विशेषता	अक्षांश	देशांतर
1	पेडे कुन्ता	150 45' 70"	780 22' 50"
2	बायलापाडू कुन्ता	150 44' 25"	780 22' 33"
3	तुगगुबारा कुन्ता	150 44' 31"	780 22' 30"

उपाबंध III

ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के निर्देशांक

क्र.सं	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
1.	15'	44.4'	27.7"	78'	20.6'	38.1"
2.	15'	43.7'	46.2"	78'	20.2'	15.7"
3.	15'	44'	40.5"	78'	20.1'	7.9"
4.	15'	44'	47.2"	78'	21.0'	4.5"
5.	15'	45.3'	19.1"	78'	22.5'	33.9"
6.	15'	44.3'	20.5"	78'	22.5'	34.6"
7.	15'	44.5'	33.2"	78'	21.3'	18.6"

ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक

क्र.सं	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
1.	15'	45'	17.2"	78'	22'	40.4"
2.	15'	44'	13.9"	78'	22'	40.8"
3.	15'	44'	18.8"	78'	20'	43.4"
4.	15'	43'	39.3"	78'	20'	18.9"
5.	15'	44'	38.4"	78'	20'	10.3"

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

FOREST DEPARTMENT

Rc.No.779/2007/WL.1 (i), Dt: 09-06-2017

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2017

S.O. 1567(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3127(E), dated 20th November 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette were made available to the public dated 20th November 2015;

And Whereas, no comments have been received from public/stakeholders;

And Whereas, the Great Indian Bustard, Rollapadu Wildlife Sanctuary is situated between 15.72 to 15.75 Latitudes and 78.33 to 78.37 Longitudes in Kurnool District of Andhra Pradesh and spread over an area of 6.14 square kilometres;

And Whereas, the Wildlife Sanctuary is located in dry rolling lands of Rollapadu between the Nallamalai and Erramalai Hill Ranges of the Eastern Ghats and has one of the finest grasslands, which offers an excellent habitat for varieties of grassland animals;

And Whereas, the Sanctuary is a pure grassland sanctuary with unique floral and faunal characteristics and the common grasses found in the sanctuary are *Aristida funiculate (*Cheepuru Gaddi), *Chrysopogon fulvus (Golden Beard Grass), Heteropogon species (Black Spear Grass) (Kaseri Gaddi), Cymbopogon species (Boda Gaddi), Sehima nervosum* etc. interspersed with *Morinda tinctoria,(Togaru), Zizyphus mauritiana (Gotti) and Phoenix (Eeta)* along the seasonal streams etc.;

And Whereas, the sanctuary harbours the endangered Great Indian Bustard (Choriotis nigriceps) (Meka Batta Pitta) which is a flagship species of the Sanctuary, and the other prominent animal species are Lesser Florican (*Sypheotides indica*)(Neelaala Nemali)), Black Buck *(Antelope cervicapra*) (Krishna Jinka), Indian Wolf (*Canis lupas pallipes*) (Todelu) and Monitor Lizards (*Varanus flavescens*) (Udumu), etc.;

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the boundary of the protected area of Great Indian Bustard, Rollapadu Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries or and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 100 m from the boundary of the Great Indian Bustard, Rollapadu Wildlife Sanctuary covering an area of 1.6751 sq km in the State of Andhra Pradesh, as the Great Indian Bustard, Rollapadu Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundary of Eco-sensitive Zone.-**(1) The Eco-sensitive Zone has an extent of 100 metres from the boundary of Great Indian Bustard, Rollapadu Wildlife Sanctuary in Kurnool District of Andhra Pradesh.

(2) The Eco-sensitive Zone does not include any village and the complete Eco-sensitive Zone consists of agricultural fields.

(3) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I.**

(4) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes is appended as **Annexure II; and**

(5) The co-ordinates of Great Indian Bustard, Rollapadu Wildlife Sanctuary and Eco-Sensitive Zone are given at **Annexure-III**.

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-**

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal ;

(x) Panchayati Raj ; and

(xi) Public Works Department;

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Landuse.- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies: The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism/ Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage: All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites: Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution: Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution: Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents: Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes: Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b)No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste: Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management: The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management: The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste: The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic: The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution: Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc. .

(16) Industrial Units: (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes: The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be egulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying, crushing units, oil drilling and dredging.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law.
9.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within Eco sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is Prohibited.
Regulated Activities		
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is

		nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
14.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons, etc.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
15.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
16.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for

		industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
17.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling
18.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
19.	Widening and strengthening of existing roads .	shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
21.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
22.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
23.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
24.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
25.	Setting up of brick kilns.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws
26.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
27	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
28.	Air and vehicular pollution .	Regulated under applicable laws.
29.	Noise Pollution.	Regulated under applicable laws.
30.	Groundwater Abstraction.	Regulated under applicable laws.
31.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
32.	Use of polythene bags and other forms plastic packaging, etc .	Regulated under applicable laws.
33.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
34.	Eco-tourism activities.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
35.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, fishing.	Permitted under applicable laws.
36.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
37.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
38.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
39.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
40.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted
41.	Skill Development.	Shall be actively promoted
42.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted
43.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
44.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted

5. Monitoring Committee:- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

(i)	District Collector, Kurnool	—Chairman
(ii)	One representative of Non Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh	—Member
(iii)	one expert in the area of ecology and environment from reputed Institution or University of the State to be nominated by the Government of Andhra Pradesh	—Member
(iv)	Member-Secretary/Member of the State Bio-diversity Board	—Member
(v)	Regional Officer, State Pollution Control Board, Medak	—Member.
(vi)	Senior Town Planner of the area/Chief Urban Planner/City Planner	—Member.
(vii)	Deputy Conservator of Forests (In Charge of the Sanctuary)	—Member Secretary.

6. Terms of Reference: (1) The tenure of the Committee shall be three years.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/128/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure I

Boundary description of Eco-Sensitive Zone:

East (A to B):- The Eco-Sensitive Zone boundary line starts from station 'A' as shown on the Map (North – East corner of compartment No. 914 of Velgode Range) . The GPS reading of station 'A' is 15.75480 N, 78.37790 E and the boundary line runs towards Southern direction along with Eastern boundary of compartment No. 914 with a width of 100 Mts, from the boundary of Great Indian Bustard, Rollapadu Wildlife Sanctuary and meets station 'B' as shown on the map. The GPS reading of station 'B' is 15.73720 N, 78.37800 E.

South (B to D):- Thence the Eco-Sensitive Zone boundary line runs towards Western direction in Zig-Zag manner from station 'B' along with southern boundary of compartment No. 914 of Velgode Range with a width of 100 Mts, from the boundary of Great Indian Bustard (G.I.B), Rollapadu Wildlife Sanctuary and meets station 'C' with lat-long of 15.73850-78.34540 as shown on the map (South – West corner of compartment No. 914). Thence the boundary line runs in some distance towards South – West direction along with Eastern boundary of compartment No. 915 of Velgode Range with a width of 100 Mts, from Great Indian Bustard, Rollapdu Wildlife Sanctuary. Thence the boundary line runs towards South – East direction with a width of 100 Mts along with Eastern boundary of Great Indian Bustard, Rollapdu Wildlife Sanctuary. Thence the boundary line runs towards South – West direction with a width of 100 Mts, from the boundary of compartment No. 915 of Velgode Range. Thence the boundary line runs towards North – West direction with a width of 100 Mts, from the boundary of Great Indian Bustard, Rollapdu Wildlife Sanctuary along with Southern boundary of compartment No. 915 of Velgode Range and meets station 'D' as shown on the map (100 Mts, width from South – West corner of compartment No. 915). The GPS readings of station 'D' is 15.72760 N, 78.33860 E.

West (D to E):- Thence the boundary line runs towards Northern direction in Zig – Zag manner form station 'D' with a width of 100 Mts, along with Western boundary of compartment No. 915 of Velgode Range and meets station 'E' as shown on the map (North – West corner of compartment No. 915). The GPS reading of station 'E' is 15.74400 N, 78.33620 E (100 Mts width from North – West corner of compartment No. 915).

North (E to A):- Thence the boundary line runs towards Eastern direction in Zig – Zag manner from station 'E' with a width of 100 Mts, from the boundary of Great Indian Bustard, Rollapadu Wildlife Sanctuary along with Northern boundary of compartment No. 915 & 914 and meets starting point of station 'A' as shown on the map. The GPS reading of station 'A' is 15.75480 N, 78.37790 E (100 Mts, width from North – East corner of compartment No. 914).

Annexure II

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes

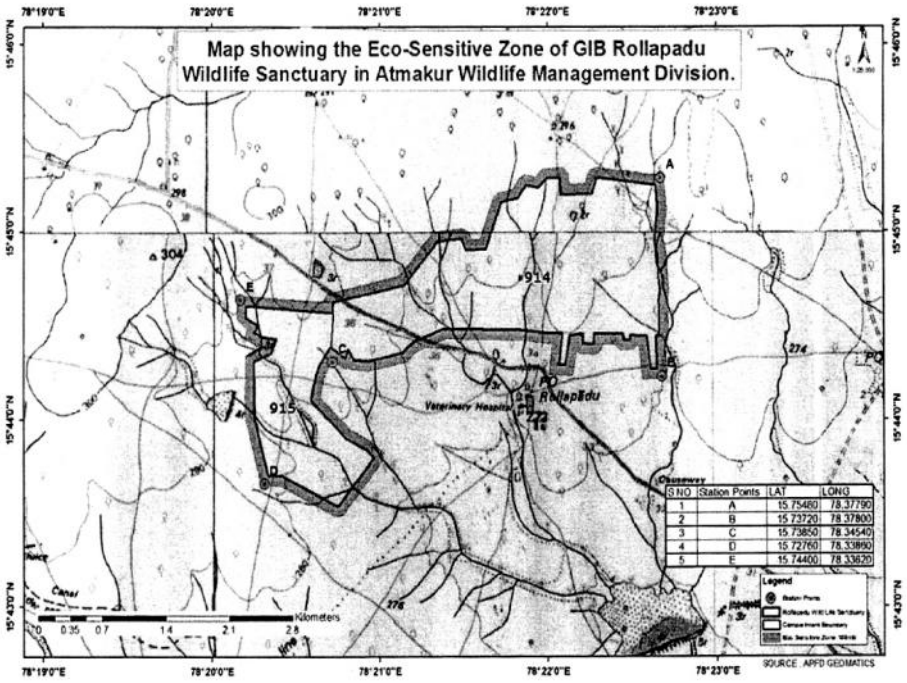

Table of Geo-Coordinates (Latitude-Longitude) of Prominent Locations of Boundary of the Great Indian Bustard Rollapdu Sanctuary

S.No.	Prominent Feature	Latitude	Longitude
1	Pade Kunta	150 45' 70"	780 22' 50"
2	Bayalapadu Kunta	150 44' 25"	780 22' 33"
3	Tuggubara Kunta	150 44' 31"	780 22' 30"

Annexure III

Sanctuary Boundary Co-ordinates of Great Indian Bustard Rollapdu Wildlife Sanctuary

S.No.	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1.	15'	44.4'	27.7"	78'	20.6'	38.1"
2.	15'	43.7'	46.2"	78'	20.2'	15.7"
3.	15'	44'	40.5"	78'	20.1'	7.9"
4.	15'	44'	47.2"	78'	21.0'	4.5"
5.	15'	45.3'	19.1"	78'	22.5'	33.9"
6.	15'	44.3'	20.5"	78'	22.5'	34.6"
7.	15'	44.5'	33.2"	78'	21.3'	18.6"

Eco-Sensitive Zone Co-ordinates of Great Indian Bustard Rollapdu Wildlife Sanctuary

S.No.	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1.	15'	45'	17.2"	78'	22'	40.4"
2.	15'	44'	13.9"	78'	22'	40.8"
3.	15'	44'	18.8"	78'	20'	43.4"
4.	15'	43'	39.3"	78'	20'	18.9"
5.	15'	44'	38.4"	78'	20'	10.3"

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

S.K. CHHOTTRAY,
Principal Chief Conservator of Forests (WL) &
Chief Wild Life Warden (A.P.).

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUM
Date: 2017.05.23 11:16:18 +05

FINAL NOTIFICATION No.1563 (E), Dt: 15-05-2017 PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA REGARDING DECLARATION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND RAJIV GANDHI NATIONAL PARK IN THE STATE OF ANDHRA PRADESH.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1380] नई दिल्ली, सोमवार, मई 15, 2017/वैशाख 25, 1939
No. 1380] NEW DELHI, MONDAY, MAY 15, 2017/VAISAKHA 25, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई , 2017

का.आ. 1563(अ).—प्रारुप अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 436 (अ), तारीख 4 फरवरी, 2016, को प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसकी उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 4 फरवरी, 2016, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, पूर्वोक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में किसी व्यक्ति और पणधारी से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुआ था;

और, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में पेन्नार नदी के किनारे प्रोद्यतूर स्थित है और यह क्षेत्र 2.3952 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है;

और, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान में बालू के टीलों का पारिस्थितिक तंत्र *टीकोमा* प्रजाति (टीकोमा) (सुवरनागन्नेरू), *डालबरजियासिसो* (इंडियनद टेकवुड) (*सिसो*), *इउकालाइपट्स* (जैम ओइल ट्री)(नीलगिरी), *पाल्मीरा* (ताली) के वृक्षों कि प्रजातियों को स्वाभाविक रूप से मदत करता है और अन्य वृक्ष प्रजातियां, जिसमें ब्लैक नप्पी हरे (*लेपसिनिगरिकोलिस*) (कुंडेलू), पीकॉक (*पोकोकिस्टिटास*) (नेमेलली), पराकेट (*पित्ताकुलकररामरी*) (चिलुका) और अन्य प्रजातियों को आश्रय देते हैं;

और, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 500 मीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं-

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से लगभग 500 मीटर और कुल 4.1506 वर्ग किलोमीटर तक का क्षेत्र है और इसमें कडुपा जिले के 4 ग्राम सम्मिलित हैं |

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची निर्देशांकों के साथ **उपाबंध I** में दिया गया है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र इसके अक्षांशों और देशांतरों के साथ **उपाबंध- II** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) सीमा विवरण के निर्देशांकों के द्वारा **उपाबंध IIक** के रूप में उपाबद्ध है।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के निर्देशांक **उपाबंध- III** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि ;
(iv) राजस्व;
(v) नगर विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगा और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पैरा 4 है और स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए पर्यावरण-अनुकूल विकास सुनिश्चित करना और बढ़ावा देना।

(8) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीक कामपलेक्स या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा।

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों और क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए है, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप जो पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्सम प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** - आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्र के लिए हानिकारक हैं।

3. **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) होटलों और रिर्सोटों का नया संनिर्माण राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे, पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिर्सोटों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पोरिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और अभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) पारिस्थितिक पर्यटन मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए आंचलिक महायोजना बनाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, क्षेत्रों और प्रसीमाओं कलात्मक सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर तैयार करनी होगी तथा ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(6) **ध्वनि प्रदूषण -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके संशोधनों के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण), 2000 के अनुसार तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जब (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

क. पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

ख. स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

ग. जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

घ. अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन:-** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा।

(16) **औद्योगिक इकाईयां -** (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को संवर्धित किया जाएगा ।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित, संवर्धित प्रवर्तक क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	(2)	(3)
	क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	(क) किसी भी नए या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। (ख) हरित या श्वेत कृषि आधारित लघु उद्योगों सहित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण के रूप में वर्गीकृत उद्योगों को नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित प्रवाह के निर्वहन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	फर्मों, कंपनियों, आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।

ख.विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी पर्यटकों की लघु संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत आंचलिक महायोजना के अनुसार पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। (ख) परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि, या कृषि आधारित उद्योग देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात होंगे।
11.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।

13.	वन उत्पादों और गैर-काष्ठ वन उत्पादों (एन.टी.एफ.टी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे(भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा)।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अधीन उपचारित बहिस्राव का निस्सारण विनियमित होंगे ।
22.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रुप से बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	निम्नीकृत भूमि, वन, आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिसूचना के उपाबंधों के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्

(i) जिला कलेक्टर, कडप्पा -अध्यक्ष;

(ii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(iii) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ -सदस्य;

(iv) क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, -सदस्य;

(v) प्रभागीय वन अधिकारी, प्रोदोत्तर वन्यजीव संभाग -सदस्य;

(vi) पर्यावरण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य;

(vii) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य/ सदस्य-सचिव -सदस्य;

(viii) शहरी विकास विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य;

(ix) उप वन संरक्षक/प्रभागीय वन अधिकारी, कडप्पा प्रभाग -सदस्य सचिव।

6.निर्देश निबंधन

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/45/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की मंडल- वार सूची

क्र.सं	मंडल	ग्राम/नगर के नाम	निर्देशांक					
			अक्षांश			देशांतर		
			डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
1	प्रोदोत्तर	जमेसपेता गांव	14°	44'	0.007"	78°	34'	0.006"
2	प्रोदोत्तर	सुन्दराह नगर	14°	43'	0.013"	78°	34'	0.006"
3	प्रोदोत्तर	नीलापुरम कोन्ताल	14°	43'	0.001"	78°	34'	0.008"
4	प्रोदोत्तर	नीलापुरम गांव	14°	43'	0.002"	78°	34'	0.005"

उपाबंध II

पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

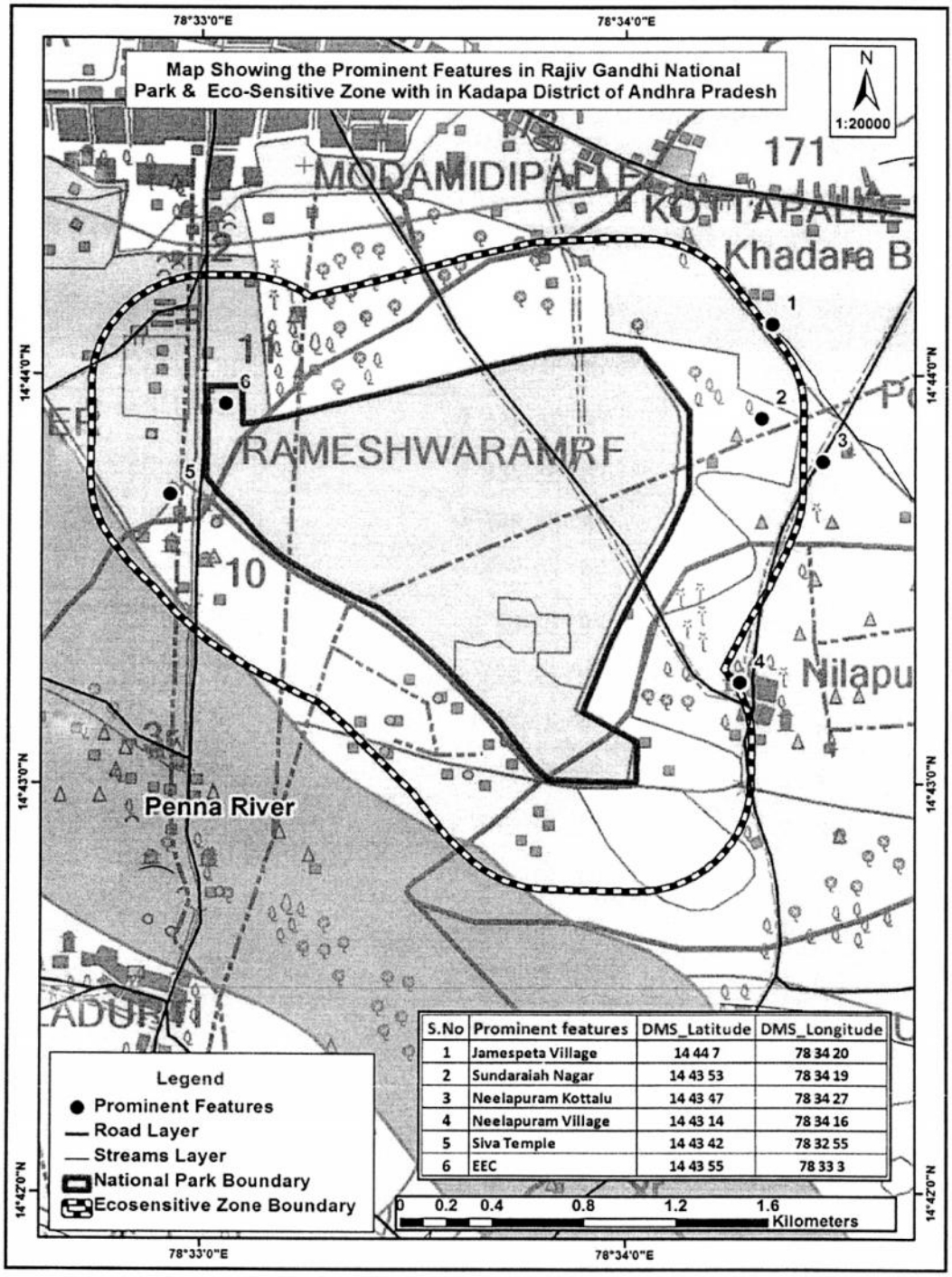

S.No	Prominent features	DMS_Latitude	DMS_Longitude
1	Jamespeta Village	14 44 7	78 34 20
2	Sundaraiah Nagar	14 43 53	78 34 19
3	Neelapuram Kottalu	14 43 47	78 34 27
4	Neelapuram Village	14 43 14	78 34 16
5	Siva Temple	14 43 42	78 32 55
6	EEC	14 43 55	78 33 3

उपाबंध IIक

क्र.सं	प्रमुख विशेषताएं	डिग्री/मिनट/सैकेड अक्षांश	डिग्री/मिनट/सैकेड देशांतर
1	जमेसपेता गांव	14 44 7	78 34 20
2	सुन्दराह नगर	14 43 53	78 34 19

3	नीलापुरम कोन्ताल	14 43 47	78 34 27
4	नीलापुरम गांव	14 43 14	78 34 16
5	सीवा मंन्दिर	14 43 42	78 32 55
6	ई.ई.सी यूरोपीय आर्थिक समुदाय	14 43 55	78 33 3

उपाबंध III

राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली के निर्देशांकों के बिंदु

क्र.स.	जीपीएस	देशांतर	अक्षांश
1	इ01	78° 28.058' पू	16° 4.136' उ
2	इ 02	78° 25.835' पू	16° 12.906' उ
3	इ 03	78° 33.786' पू	16° 11.962' उ
4	इ 04	78° 38.382' पू	16° 16.235' उ
5	इ 05	78° 47.375' पू	16° 29.403' उ
6	इ 06	79° 0.062' पू	16° 29.235' उ
7	इ 07	78° 52.522' पू	16° 33.391' उ
8	इ 08	79° 4.859' पू	16° 35.264' उ
9	इ 09	79° 12.882' पू	16° 38.781' उ
10	इ 10	79° 18.363' पू	16° 40.284' उ
11	इ 11	79° 25.409' पू	16° 42.424' उ
12	इ 12	79° 28.466' पू	16° 34.997' उ
13	इ 13	79° 17.716' पू	16° 32.999' उ
14	इ 14	79° 17.494' पू	16° 19.870' उ
15	इ 15	79° 13.298' पू	15° 57.795' उ
16	इ 16	79° 13.298' पू	15° 57.795' उ
17	इ 17	79° 7.298' पू	15° 55.651' उ
18	इ 18	78° 50.990' पू	15° 52.065' उ
19	इ 19	78° 42.136' पू	15° 51.905' उ
20	इ 20	78° 36.133' पू	15° 58.235' उ
21	इ 21	78° 36.125' पू	16° 4.924' उ

राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली के निर्देशांकों के बिंदु

क्र.स.	जीपीएस	देशांतर	अक्षांश
1	इ 01	78° 25.635' पू	16° 7.408' उ
2	इ 02	78° 24.784' पू	16° 11.852' उ
3	इ 03	78° 29.844' पू	16° 14.132' उ
4	इ 04	78° 31.589' पू	16° 16.070' उ
5	इ 05	78° 38.381' पू	16° 20.273' उ
6	इ 06	78° 47.496' पू	16° 30.654' उ
7	इ 07	78° 56.525' पू	16° 35.011' उ
8	इ 08	79° 7.220' पू	16° 36.809' उ
9	इ 09	79° 16.372' पू	16° 40.570' उ
10	इ 10	79° 22.526' पू	16° 42.724' उ
11	इ 11	79° 29.176' पू	16° 34.938' उ
12	इ 12	79° 22.915' पू	16° 31.767' उ
13	इ 13	79° 19.399' पू	16° 27.296' उ
14	इ 14	79° 16.640' पू	16° 18.796' उ
15	इ 15	79° 15.305' पू	16° 7.719' उ
16	इ 16	79° 15.765' पू	15° 57.192' उ
17	इ 17	79° 5.996' पू	15° 53.059' उ
18	इ 18	78° 56.738' पू	15° 50.922' उ
19	इ 19	78° 50.676' पू	15° 49.451' उ

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की सविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

FOREST DEPARTMENT

Rc.No.779/2007/WL-1 (ii), Dt: 9-6-2017

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, February, 2017

S.O. 1563(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 436 (E), dated the 4th February, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette were made available to the public the said notification were made available to the public 4th February, 2016, ;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification;

AND WHEREAS, Rajiv Gandhi National Park is located in the Kadapa District of Andhra Pradesh on the banks of River Pennar near Proddatur town and is spread over an area of 2.3952 square kilometres;

AND WHEREAS, the Rajiv Gandhi National Park has sand dune ecosystem which supports naturally occurring *Tecoma* species (tekoma) (SuvarnaGanneru), *Dalbergiasissoo (Indian Teakwood) (Sissoo)*, *Eucalyptus (Jam Oil Tree) (Nilagiri), Palmyrah (Tali)* species and other plant species which also harbours fauna like Black napped Hare (Lepusnigricollis) (Kundelu),Peacock (*Pavocristatus)*(Nemali), Parakket (*Psittaculakrameri*) (Chiluka) and other reptiles;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Rajiv Gandhi National Park as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and to prohibit their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 500 meters from the boundary of Rajiv Gandhi National Park in the State of Andhra Pradesh, as the Rajiv Gandhi National Park Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundary of Eco-sensitive Zone.-(1) The extent of Eco-sensitive Zone is 500 Metres all around the boundary of Rajiv Gandhi National Park and covers an area of 4.1506 square kilometres and includes four villages in Kadapa District.

(2) The list of villages falling within Eco-sensitive Zone along with coordinates is given at **Annexure-I.**

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitude–longitude is appended as **Annexure II.**

(4) The boundary details in the form of coordination are appended as Annexure II A.

(5) The co-ordinates of Rajiv Gandhi National Park and co-ordinates of Eco-sensitive Zone is appended as Annexure-III.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- **(1)** The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj ;
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table is paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government to meet the residential needs of the local residents, and for the activates such as:

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under is paragraph 4.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs, rivers and channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometer m from the boundary of the Rajiv Gandhi National Park or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer, however, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their preservation and conservation of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution.- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974)and the rules made thereunder..

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time.

(b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(d) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone..

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.-The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution: Prevention and control of vehicular pollution shall be with done in accordance with applicable laws.

(16) Industrial Units: (i) No new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone. as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes: The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of new industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	(a) No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b) Industries categorised as Green or White in the Central Pollution Control Board Classification including agro-based small scale industries, shall be regulated as per applicable regulations.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws. (b) Construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
11.	Setting up of brick kilns.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (underground cabling may be promoted).

15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Under taking other activities related to tourism like over flying the eco- sensitive zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
18.	Protection of hill slopes and river banks	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity shall be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.

33.	Use of renewable energy.	Bio gas, solar light, etc. shall be actively promoted .
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
36.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
37.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification which shall comprise of the following, namely:-

(i) District Collector, Kadappa -Chairman;
(ii) One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for three years - Member;
(iii) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for three years - Member;
(iv) Regional Officer, State Pollution Control Board – Member;
(v) The Divisional Forest Officer, Proddatur Wildlife Division – Member;
(vi) Representative of the Department of Environment, Government of Andhra Pradesh – Member;
(vii) Member-Secretary/Member of the State Biodiversity Board - Member;
(viii) Representative of the Department Of Urban Development, Government of Andhra Pradesh – Member;
(ix) Deputy Conservator of Forests/ Divisional Forest Officer, Kadapa Division – Member Secretary.

6. Terms of reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be three years.
(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

Annexure I

MANDAL WISE LIST OF VILLAGES FALLING WITHIN IN THE ECO SENSITIVE ZONE OF RAJIV GANDHI NATIONAL PARK

S.No.	Mandal	Name of the Town / Village	Coordinates					
			Latitude			Longitude		
			Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	Proddatur	Jamespeta Village	14°	44'	0.007"	78°	34'	0.006"
2	Proddatur	Sundaraiah Nagar	14°	43'	0.013"	78°	34'	0.006"
3	Proddatur	NeelapuramKottalu	14°	43'	0.001"	78°	34'	0.008"
4	Proddatur	Neelapuram Village	14°	43'	0.002"	78°	34'	0.005"

[F. No. 25/45/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure -II

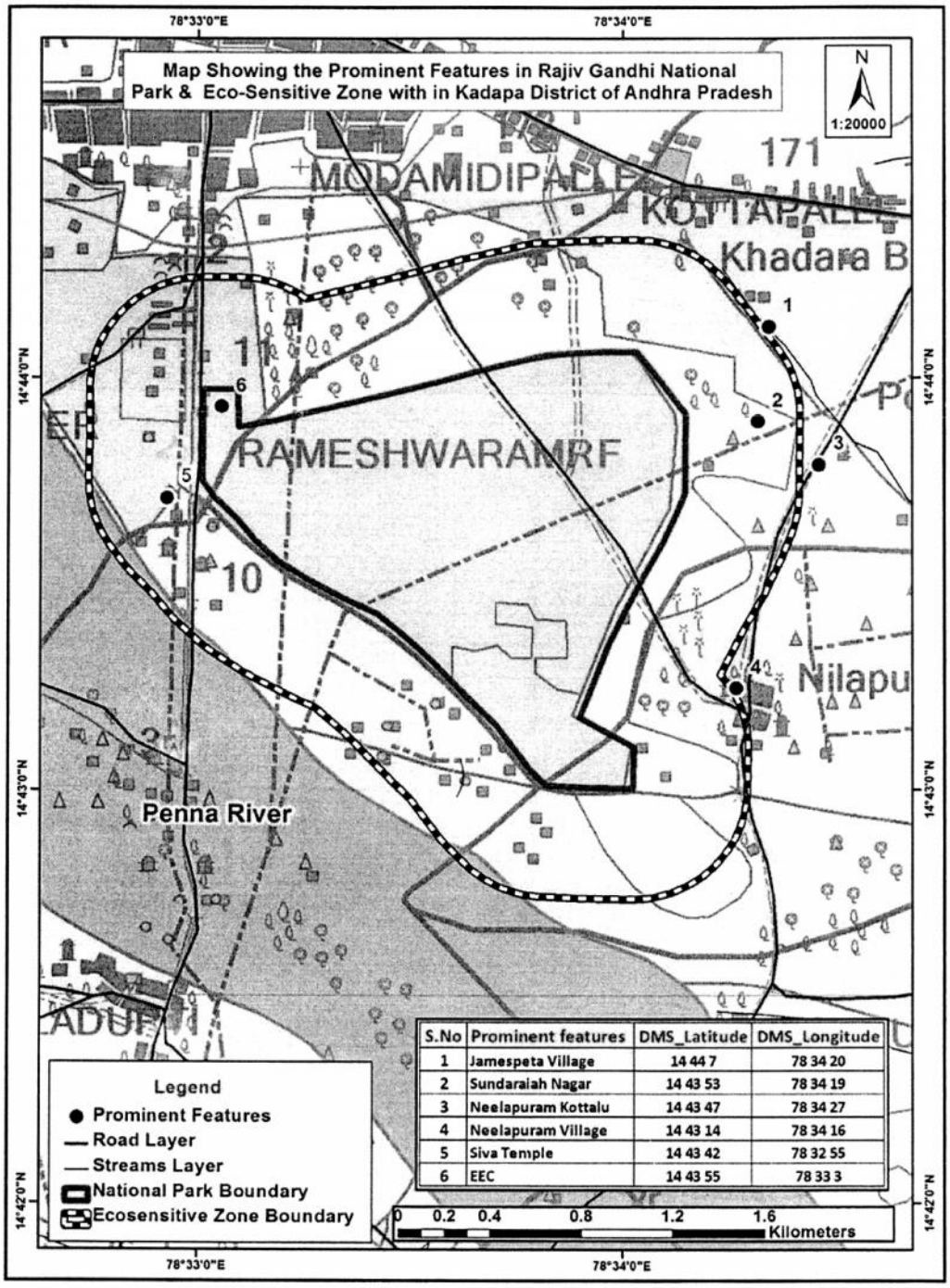

S.No	Prominent features	DMS_Latitude	DMS_Longitude
1	Jamespeta Village	14 44 7	78 34 20
2	Sundaraiah Nagar	14 43 53	78 34 19
3	Neelapuram Kottalu	14 43 47	78 34 27
4	Neelapuram Village	14 43 14	78 34 16
5	Siva Temple	14 43 42	78 32 55
6	EEC	14 43 55	78 33 3

Annexure -II A

S.No.	Prominent features	Degree/Minutes/Second Latitude	Degree/Minutes/Second Longitude
1	Jamespeta Village	14 44 7	78 34 20
2	Sundaraiah Nagar	14 43 53	78 34 19
3	NeelapuramKottalu	14 43 47	78 34 27

4	Neelapuram Village	14 43 14	78 34 16
5	Siva Temple	14 43 42	78 32 55
6	EEC	14 43 55	78 33 3

Annexure –III

Global Positioning System co-ordinates of points along the boundary Rajiv Gandhi National Park

Sl_No.	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	78° 28.058' E	16° 4.136' N
2	E02	78° 25.835' E	16° 12.906' N
3	E03	78° 33.786' E	16° 11.962' N
4	E04	78° 38.382' E	16° 16.235' N
5	E05	78° 47.375' E	16° 29.403' N
6	E06	79° 0.062' E	16° 29.235' N
7	E07	78° 52.522' E	16° 33.391' N
8	E08	79° 4.859' E	16° 35.264' N
9	E09	79° 12.882' E	16° 38.781' N
10	E10	79° 18.363' E	16° 40.284' N
11	E11	79° 25.409' E	16° 42.424' N
12	E12	79° 28.466' E	16° 34.997' N
13	E13	79° 17.716' E	16° 32.999' N
14	E14	79° 17.494' E	16° 19.870' N
15	E15	79° 13.298' E	15° 57.795' N
16	E16	79° 13.298' E	15° 57.795' N
17	E17	79° 7.298' E	15° 55.651' N
18	E18	78° 50.990' E	15° 52.065' N
19	E19	78° 42.136' E	15° 51.905' N
20	E20	78° 36.133' E	15° 58.235' N
21	E21	78° 36.125' E	16° 4.924' N

Global Positioning System co-ordinates of points along the boundary of Eco-sensitive Zone of Rajiv Gandhi National Park

Sl_No	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	78° 25.635' E	16° 7.408' N
2	E02	78° 24.784' E	16° 11.852' N
3	E03	78° 29.844' E	16° 14.132' N
4	E04	78° 31.589' E	16° 16.070' N
5	E05	78° 38.381' E	16° 20.273' N
6	E06	78° 47.496' E	16° 30.654' N
7	E07	78° 56.525' E	16° 35.011' N
8	E08	79° 7.220' E	16° 36.809' N
9	E09	79° 16.372' E	16° 40.570' N
10	E10	79° 22.526' E	16° 42.724' N
11	E11	79° 29.176' E	16° 34.938' N
12	E12	79° 22.915' E	16° 31.767' N
13	E13	79° 19.399' E	16° 27.296' N
14	E14	79° 16.640' E	16° 18.796' N
15	E15	79° 15.305' E	16° 7.719' N
16	E16	79° 15.765' E	15° 57.192' N
17	E17	79° 5.996' E	15° 53.059' N
18	E18	78° 56.738' E	15° 50.922' N
19	E19	78° 50.676' E	15° 49.451' N

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report:- Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

S.K. CHHOTTRAY,
Principal Chief Conservator of Forests (WL) &
Chief Wild Life Warden (A.P.).

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.05.20 11:41:42 +05'30'

FINAL NOTIFICATION No.1174 (E), Dt: 13-04-2017 PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA REGARDING DECLARATION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND SRI LANKAMALLESWARA WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE OF ANDHRA PRADESH.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1042] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2017/चैत्र 23, 1939
No. 1042] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2017/CHAITRA 23, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2017

का.आ.1174 (अ).— भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 3328 (अ) तारीख 7 दिसम्बर, 2015, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में किन्हीं व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर 14^{0}43' 12" और उत्तर अक्षांश 14^{0}28' 12" और पूर्व 78^{0} 48' 00" और पूर्व देशान्तर 79° 01' 48" के बीच स्थित कडुपा ज़िले के दक्षिण पहाड़ियों में लंकामलाई की पहाड़ी श्रृंखलाओं में आंध्र प्रदेश राज्य के कडुपा ज़िले कडुपा और प्रोदोतूर वन प्रभाग में स्थित है और लंकामल्ला आरक्षित वन वन्यजीव अभयारण्य गठित करता है तथा अभयारण्य का कुल क्षेत्र 464.42 वर्ग किलोमीटर है| जो कि कडापा वन प्रभाग के अंतर्गत 263.92 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है और प्रोदोत्तर वन प्रभाग के अंतर्गत 200.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है;

और, श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य अधिकांश संकटापन्न के लिए सिर्फ एक केंद्र है और जेर्डोन डबल बैंडिज कोउरसर (*कर्सीरियस बिटरक्वाटस*) (*कालीवी कोडी*), विश्व में न्यूनतम ज्ञात पक्षी है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थानिक है और अभयारण्य में *पेंथेरा पार्डस* (तेंदुआ) (चिरुता पुली), *रुसा यूनिकोलर* (सांभर) (कानिथी), *एक्सिस एक्सिस* (चीतल या चित्तीदार हिरण) (डुप्पी), *कुओनलपिनस* (जंगली कुत्ता या ढोल) (रेच्कु कूका), *टेट्रासरोस क्वाडट्रॉमिस* (चौसींगा मृग) (चोऊसींगा) (कोंडा गोरे) और अनेक सरीसृप और पक्षी प्रजातियां भी बसी हुई है ;

और, क्षेत्र में अत्यंत प्रचुर प्राणीजातीय एवं वनस्पतीय विविधता है और रेड सेंडरस (*पीटरोकारपस संटालीनस*) (*रेड सॉन्डर्स*) (*एररा चंदानमू*) की वृहत् जीवसंख्या, जो इस क्षेत्र में स्थानीय है ;

और, श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में मुख्यतः दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती विविध प्रकार 5ए/सी3 जैसा पीटरोकरपस संटालीनस (*रेड सॉन्डर्स*) (*एररा चंदानमू*), अनोगेइसस स्पा. (*चीइरुमनु*), कैरीस्सा कैरानडस (*कालीमी चेत्तु*), जीजयफस

एक्सलोफाइसेस (*गोटी*), डोडोनाइया बीसकोसा (*बांदेडू*), मैटनस इमरगीनाटा, डियोफाइरोस कालोरोएक्सलोन (*उलीटिा*), हार्डविकीया बीनाटा (*येपी*), टारेना एशियाटिका (*कुप्पी पुव्वा*) और डियोफाइरोस फेररिया (*चिन्ना उल्लिंथा*) इस तरह की चैंपियन और सेठ वर्गीकरण में प्रजातियां पाई जाती है;

और, अभयारण्य में जलग्रहण के लिए मुख्य जल निकास का रुप है जो संपूर्ण रिजर्व के ऊपर बहुसंख्यक धारा प्रवाहित होकर पेन्नार नदी से जोड़ती है और अभयारण्य में ऐतिहासिक समय के दौरान बने अनेक सदानीर जल स्त्रोत और मानव निर्मित टैंक भी है ;

और, श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर तक क्षेत्र का है और इसमें कडुपा जिले के 16 ग्राम सम्मिलित हैं | पारिस्थितिक संवेदी जोन का कुल क्षेत्र 338 वर्ग किलोमीटर है ।

(2) इस अधिसूचना में पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थित ग्रामों की सूची इसके निर्देशांकों के साथ उपाबंध I में दी गई है ।

(3) इस अधिसूचना में अक्षांश और देशान्तर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा का मानचित्र उपाबंध II के रुप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी । आचंलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा |

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी |

(3) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन और वन्यजीव ;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग ।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना में दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का मानचित्रों के साथ अभ्यकंन करेगी और योजना को मानचित्रों में दिए गए विद्यमान तथा प्रस्तावित भूमि उपयोग सुविधाओं के विवरण द्वारा समर्थित किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय पारिस्थितकीय जोन में विकास को विनियिमत करेगी जिससे समुदायों की जीवकोपार्जन की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास का सुनिश्चय किया जा सके।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) भू-उपयोग – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

(ख) परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के से और यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, अनुज्ञात किया जा सकेगा, जैसे:-

i. विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

ii. बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

iii. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

iv. कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिस में सहायक हो ग्रह वास; और

v. संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

(ग) परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

(ड.) परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

(च) अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत –आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों और चैनलों के जल ग्रहण क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित किए जाएंगे |

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) होटलों और रिसोर्टों का नया संनिर्माण वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे, पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांतों के तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) वायु प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम के उपबंधों के अनुसार वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मानक और विनियम कार्यान्वित करेगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा तथा पर्यावरण की सरंक्षण के लिए मानक ओर अधिक कठोर बनाये जा सकते हैं।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा-

(क) (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: - पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: - पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) ई–अपशिष्ट:- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय परिवहन: - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) यानीय प्रदूषण:- लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि हैं ।

(16) औद्योगिक ईकाइयां: - (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् या प्रकाशन को, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में केवल गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो । इसके अलावा, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: - पहाड़ी ढलानों के संरक्षण निम्नानुसार होगा-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(18) यदि यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों विनिर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची –

पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर

		की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की देशी आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा। हरित या श्वेत कृषि आधारित लघु उद्योगों सहित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण के रूप में वर्गीकृत उद्योगों को नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
3.	वृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित प्रवाह के निर्वहन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	कंपनियों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन।	संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार, इनमें से जो भी नजदीक हो, से 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को सिवाए पारिस्थितिक के अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी आवास के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु, 1 किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों के विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देश के अनुरुप होंगे।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार, इनमें से जो भी नजदीक हो, से 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा : परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखा जाएगा। (ख) एक किलोमीटर से परे इसकों आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय सामग्री से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या

		कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
11.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	इलैक्ट्रिकल और संचार सूचना टावरों को लगाना तथा विद्युत लाइनों को बिछाना और अन्य अवसंरचना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल डालने का संवर्धन किया जाए।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन उपचारित बहिस्राव का निस्सारण विनियमित होंगे।
22.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग A	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायो गैस, सोलर लाइट आदि को बढ़ावा दिया जाए।

34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. **निगरानी समिति-** केंद्रीय सरकार, तीन साल की अवधि के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i)	जिला कलक्टर, कडप्पा	अध्यक्ष;
(ii)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(iv)	क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	सदस्य;
(v)	नगरपालिका आयुक्त अथवा उसका प्रतिनिधि, कडुपा शहर	सदस्य;
(vi)	प्रभागीय वन अधिकारी, प्रोदोत्तर वन्यजीव प्रभाग	सदस्य;
(vii)	पर्यावरण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(viii)	सदस्य-सचिव/राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य	सदस्य;
(ix)	शहरी विकास विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(x)	उप वन संरक्षक/प्रभागीय वन अधिकारी, कडप्पा प्रभाग	सदस्य-सचिव।

6. <u>निर्देश शर्तें</u>

(1) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(2) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को उपाबंध III में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/8/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0-1 कि.मी. त्रिज्या के बीच स्थित ग्रामों और शहरी निवास/व्यवस्था की सूची			
क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर	ग्राम के नाम
1	14.66740	79.02466	कोथुरु
2	14.66885	78.99359	कोथाचेरुवु
3	14.49514	79.06058	इगुवापल्ली
4	14.49202	79.05880	कृशनायगरिपाल
5	14.48459	79.06300	बयाक्कागरीपल्ली
6	14.46406	79.07021	दिगुवाचानदुवायी
7	14.45962	79.02784	वेलुगुपल्ली
8	14.46787	78.96799	सिद्दावातम
9	14.46913	78.98217	कम्मापालेम
10	14.46717	78.99601	जनगालापल्ली
11	14.47115	78.94943	राजमपेटा
12	14.49836	78.90694	गोल्लापल्ली
13	14.50488	78.90204	छेलामरेड्डीपाल
14	14.58652	78.81198	चीनी कारखाना
15	14.64296	78.79814	नगपाटनाम
16	14.72223	78.94585	अगरहाराम

उपाबध II

श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0-1 कि.मी. त्रिज्या के जी. पी. एस. निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र

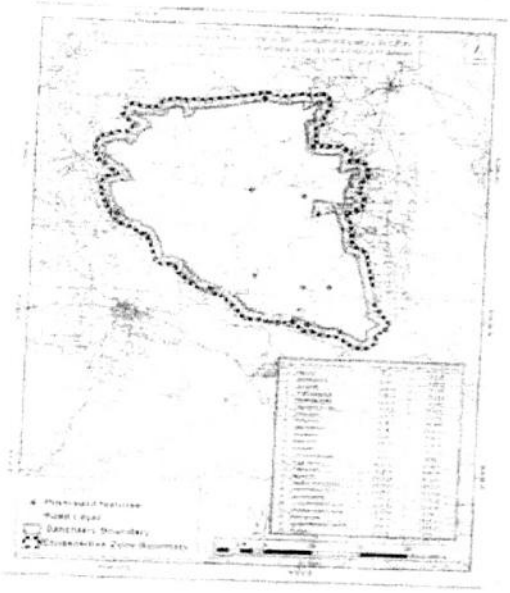

श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0-1 कि.मी. त्रिज्या के निर्देशांक

क्र. सं.	मुख्य ग्राम	डिग्री/मिनट/सेकेण्ड/अक्षांश	डिग्री/मिनट/सेकेण्ड/देशांतर
1.	कोथुरु	14 40 2	79 1 28
2.	कोथाचेरुवु	14 40 7	78 59 36
3.	इगुवापल्ली	14 29 42	79 3 38
4.	कृशनायगरिपाल	14 29 31	79 3 31
5.	बयाक्कागरीपल्ली	14 29 4	79 3 46
6.	दिगुवाचानदुवायी	14 27 50	79 4 12
7.	वेलुगुपल्ली	14 27 34	79 1 40
8.	सिद्दावातम	14 28 4	78 58 4
9.	कम्मापालेम	14 28 8	78 58 55
10.	जनगालापल्ली	14 28 1	78 59 45
11.	राजमपेटा	14 28 16	78 56 57
12.	गोल्लापल्ली	14 29 54	78 54 24
13.	छेलामरेड्डीपाल	14 30 17	78 54 7
14.	चीनी कारखाना	14 35 11	78 48 43
15.	नगपाटनाम	14 38 34	78 47 53
16.	अगरहाराम	14 43 20	78 56 45
17.	सब बावी वॉच टॉवर	14 30 32	78 59 25
18.	कपथिसवाड़ा कोना	14 28 59	78 59 18

19.	गुंडल बांदा	14 31 14	78 56 37
20.	लॉरी बाटा वॉच टॉवर	14 30 35	79 00 54
21.	गोपालस स्वामी मंदिर	14 33 54	79 59 1
22.	पाथिवानी बावी	14 36 46	78 59 15
23.	श्रीलंकामालेश्वर मंदिर	14 37 4	78 56 14
24.	उता बावल	14 35 32	79 00 5

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

FOREST DEPARTMENT

Rc.No.779/2007/WL-1 (iii), Dt. 9-6-2017

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2017

S.O.1174(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3328 (E), dated the 7th December 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, no objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary is located in the Kadapa District of Andhra Pradesh State being the hill ranges of Lankamallai in the Deccan Plateau of Kadapa District, situated in between 14^0 43' 12" North and 14^0 28' 12" North Latitudes, 78^0 48' 00" East and 79° 01' 48" East Longitudes and the Lankamalla Reserve Forest constitute the wildlife Sanctuary and the total area of the Sanctuary is 464.42 sq.uare kilometres of which an area of 263.92 sq. km. falls in Kadapa Forest Division and an area of 200.50 sq. km. falls in Prodattur Forest Division;

AND WHEREAS, the Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary is the only home for one of the most endangered and least known birds in the World, the Jerdon's Double Banded Courser (*Cursorius bitorquatus*) (Kalivi Kodi), which is endemic to the State of Andhra Pradesh and the Sanctuary is also inhabited by *Panthera Pardus* (Leopard) (Chiruta puli), *Rusa unicolor* (Sambar) (Kanithi), *Axis Axis* (Cheetal or Spotted Deer) (Duppi), *Cuonalpinus* (Wild Dog or Dhole) (Rechu kukka), *Tetraceros quadricomis* (Four Horned Antilope) (Chousingha) (Konda Gorre) and many reptilian and bird species;

AND WHEREAS, the area has very rich Faunal and Floral diversity and has the largest population of Red Sanders (*Pterocarpus santallinus) (Red Saunders)(Erra Chandanamu)* which is endemic to the region;

AND WHEREAS, the Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary has mostly Southern Tropical dry deciduous Miscellaneous Type 5A/C3 as per Champion and Seth classification having species such as *Pterocarpus santallinus (Red Saunders) (Erra Chandanamu),* Anogeissus sp.,(Chiirumanu) *Carrissa carrandas (Kalimi Chettu), Zizyphus xylophyros (Gotti), Dodonaea viscosa (Bandedu), Maytenus emerginata, Diospyros chloroxylon (Ullinta), Hardwickia binate (Yepi), Tarenna asiatica (Kuppi Puvvu),* and *Diospyros ferrea (Chinna Ullintha)*;

AND WHEREAS, numerous streams flowing over the entire reserve join river Pennar which forms the main drainage for the catchments in the Sanctuary and that the Sanctuary has many perennial springs and manmade tanks constructed during historical times;.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processed in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of one kilometre from the boundary of Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary in the State of Andhra Pradesh, as the Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone.-(1) The extent of Eco-sensitive Zone is one kilometre from the boundary of Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary and includes 16 villages in Kadapa District and the Eco-sensitive Zone area is 338 square kilometers.

(2) The list of villages along with their coordinates of the Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-I** of this notification.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes is appended notification as **Annexure II** of this notification.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj ;
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**

The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Landuse:

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant state laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities and given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant state laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the correction of error referred in the above promise shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs, rivers and channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.-**

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km

from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel or resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) (i) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time.

(ii) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b)No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste: Bio medical waste management shall be as under:-

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco- sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management: The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management: The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste: The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic: The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is

prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution: The prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units: (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board, unless so specified in this notification and the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes: The protection of hill slopes shall be as under.-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04 August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21 April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of new industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Industries categorised as Green or White in the Central Pollution Control Board Classification including agro-based small scale industries, will be regulated as per regulations.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
		B. Regulated Activities

8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Setting up of brick kilns.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
18.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and	Regulated under applicable law.

	ground water.	
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
36.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
37.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:- The Central Government may constitute a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, consistency of the following presence:-

(i)	District Collector, Kadappa	-	Chairman.
(ii)	One representative of Non-Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for three years	-	Member.
(iii)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for three years	–	Member.
(iv)	Regional Officer, State Pollution Control Board	–	Member.
(v)	Municipal Commissioner or his representative of Kadappa Town	–	Member.
(vi)	The Divisional Forest Officer, Proddatur Wildlife Division	–	Member.
(vii)	Representative of the Department Of Environment, Government of Andhra Pradesh	–	Member.
(viii)	Member-Secretary/Member of the State Biodiversity Board	–	Member
(ix)	Representative of the Department Of Urban Development, Government of Andhra Pradesh	–	Member.
(x)	Deputy Conservator of Forests/ Divisional Forest Officer, Kadappa Division	–	Member Secretary.

6. Terms of Reference:

(1) The tenure of monitoring committee shall be for three years.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph

4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions an referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/08/2015-ESZ-RE]
LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure I

List of Villages falling within the proposed Eco sensitive Zone

List of villages and Urban habitations / Settlements located between 0-1 Km radius from the boundary of Sri Lankamalleswara Widlife Sanctuary

Sl.No	Lat	Long	Village Name
1	14.66740	79.02466	Kothuru
2	14.66885	78.99359	Kothacheruvu
3	14.49514	79.06058	Eguvapalli
4	14.49202	79.05880	Krishnayagaripal
5	14.48459	79.06300	Bayakkagaripalli
6	14.46406	79.07021	Diguvachanduvayi
7	14.45962	79.02784	Velugupalli
8	14.46787	78.96799	Siddavatam
9	14.46913	78.98217	Kammapalem
10	14.46717	78.99601	Jangalapalli
11	14.47115	78.94943	Rajampeta
12	14.49836	78.90694	Gollapalli
13	14.50488	78.90204	Chelamareddypall
14	14.58652	78.81198	Sugar Factory
15	14.64296	78.79814	Nagapatnam
16	14.72223	78.94585	Agraharam

Annexure II

Map showing the boundaries of the Eco-sensitive Zone along with coordinates along with GPS Co-ordinates of 0-1 Km radius from the Boundary of Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary

Co-ordinates of 0-1 Kilo meter radius from the boundary of Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary

S.No.	Prominent feature	Degree/minutes/second Latitude	Degree/minutes/second Longitude
1.	Kothuru	14 40 2	79 1 28
2.	Kothacheruvu	14 40 7	78 59 36
3.	Eguvapalli	14 29 42	79 3 38
4.	Krishnayagaripal	14 29 31	79 3 31
5.	Bayakkagaripalli	14 29 4	79 3 46
6.	Diguvachanduvayi	14 27 50	79 4 12
7.	Velugupalli	14 27 34	79 1 40
8.	Siddavatam	14 28 4	78 58 4
9.	Kammapalem	14 28 8	78 58 55
10.	Jangalapalli	14 28 1	78 59 45
11.	Rajampeta	14 28 16	78 56 57
12.	Gollapalli	14 29 54	78 54 24
13.	Chelamareddypall	14 30 17	78 54 7
14.	Sugar Factory	14 35 11	78 48 43
15.	Nagapatnam	14 38 34	78 47 53
16.	Agraharam	14 43 20	78 56 45
17.	Sab Bavi Watch Tower	14 30 32	78 59 25
18.	Kaparthiswara Kona	14 28 59	78 59 18
19.	Gundala Banda	14 31 14	78 56 37
20.	Lorry bata Watch Tower	14 30 35	79 00 54
21.	Gopalass Swamy Temple	14 33 54	79 59 1
22.	Pathivani Bavi	14 36 46	78 59 15
23.	Lankamalleswara Temple	14 37 4	78 56 14
24.	Uta Bavl	14 35 32	79 00 5

Annexure II:

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

S.K. CHHOTTRAY,
Principal Chief Conservator of Forests (WL) &
Chief Wild Life Warden (A.P.).

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.04.19 22:59:37 +05'30'

Published and Uploaded by the Commissioner of Printing, Government of Andhra Pradesh at
Government Regional Press, Vijayawada, www.ap.egazette.cgg.gov.in